

पहली FIRST

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2007-2008

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। रा-ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच, 2007-08

वर्ष 2007-2008 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 39 अनुदान शामिल हैं। 20,412.14 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 10,428.22 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 9,983.62 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 30 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject: First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2007-2008.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2007-08 includes 39 grants . Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 20,412.14 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 10,428.22 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 9,983.62 crore. Besides, token provision of Rs. 30 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

| | | | | | (कर | रोड़ रुपए Rupees | s in Crore) |
|------|------------|--|----|--|--------|------------------|-------------|
| | | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| अनुद | ान संर | ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gr | ant No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| नक | द व्यय | T | Ca | sh Outgo | | | |
| कृषि | मंत्रा | लय | | NISTRY OF AGRICULTURE | | | |
| 1 | कृषि | तथा सहकारिता विभाग | 1 | Department of Agriculture and Cooperation | | | |
| | <u>(क)</u> | देश में खाद्यान्न संबंधी आत्म-निर्भरता प्राप्त | | (a) For implementation of the scheme | | | |
| | | करने के उद्देश्य से चावल-गेहूँ और दलहनों | | "National Food Security Mission" to | | | |
| | | की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु "राष्ट्रीय | | enhance productivity of rice, wheat and | | | |
| | | खाद्य सुरक्षा मिशन" योजना के कार्यान्वयन | | pulses to make country self sufficient | | | |
| | | हेतु। | | in food grains. | 200.00 | - | 200.00 |
| | (ख) | रबी 2005-06 और 2006-07 के दौरान | | (b) For reimbursement of losses incurred | | | |
| | | सरसों के मूल्य समर्थन अभियानों के तहत | | by National Agricultural Cooperative | | | |
| | | सरसों के बीजों की खरीद/निपटान के संबंध | | Marketing Federation of India Limited | | | |
| | | में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग | | on procurement /disposal of mustard | | | |
| | | फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हुई | | seeds under the Price Support | | | |
| | | हानि की प्रतिपूर्ति हेतु। | | Operations for mustard during Rabi | | | |
| | | ς, σ | | 2005-06 and 2006-07. | - | 300.00 | 300.00 |
| | (1J) | 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि | | (c) For Additional Central Assistance Scheme | | | |
| | | क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने हेतु | | to State Plans for Agriculture for achieving | | | |
| | | कृषि संबंधी राज्य की आयोजनाओं को | | 4% annual growth in Agriculture Sector | | | |
| | | अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के लिए। | | during 11th Five Year Plan. | 300.00 | - | 300.00 |
| रसा | यन तः | था उर्वरक मंत्रालय | M | INISTRY OF CHEMICALS AND | | | |
| | | | FE | RTILISERS | | | |
| 8. | उर्वर | क विभाग | 8 | Department of Fertilisers | | | |
| | निम्न | लिखित पर सब्सिडी हेतु (क) आयातित | | For subsidy on (a) imported decontrolled | | | |
| | विनि | यंत्रित उर्वरक (3250.00 करोड़ रुपए), (ख) | | fertilisers (Rs. 3250.00 crore), (b) | | | |
| | | शी विनियंत्रित उर्वरक (3250.00 करोड़ रुपए), | | indigenous decontrolled fertilisers (Rs. | | | |
| | (ग) | आयातित यूरिया (3500.00 करोड़ रुपए) | | 3250.00 crore), (c) imported urea (Rs. | | | |
| | और | (घ) नाइट्रोजनी उर्वरक (5000.00 करोड़ | | 3500.00 crore) and (d) nitrogenous fertilisers | | | |
| | रुपए |) | | (Rs. 5000.00 crore). | - | 6,550.00 | 6,550.00 |
| वाणि | ाज्य त | ाथा उद्योग मंत्रालय | М | NISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY | | | |
| 11 | वाणि | ज्य विभाग | 11 | Department of Commerce | | | |
| | मानि | त निर्यातों पर शुल्क वापस लेने के लम्बित | | For settlement of pending claims of Duty | | | |
| | दावों | के निपटान तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के | | Drawback on Deemed Exports and | | | |
| | लिए | केन्द्रीय बिक्री कर और टर्मिनल उत्पाद कर | | reimbursement of Central Sales Tax and | | | |
| | की प्र | ग्रतिपूर्ति हेतु। | | Terminal Excise Duty for Special Economic | | | |
| | | · · · · · · · · | | Zones. | - | 300.00 | 300.00 |
| | | | | | | | |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Cros आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ | | |
|---|---|--|--------------------------|-------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयाजना Plan | आयाजना-ाभन्न Non Plan | जोड़ Total |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 14 दूरसंचार विभाग | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 14 Department of Telecommunications | | | |
| निम्नलिखित के लिए मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ऋण प्रदान करने हेतु (क) दिसम्बर, 2006 तक संवैधानिक देयराशियों की देयता (252.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति और (ख) स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का कार्यान्वयन (100.00 करोड़ रुपए)। | For providing loans to M/s Indian Telephone Industries Limited for (a) meeting the liability of statutory dues till December, 2006 (Rs. 252.00 crore) and (b) implementation of Voluntary Retirement Scheme (Rs. 100.00 crore). | | 352.00 | 352.00 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक | MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, | | 332.00 | 332.00 |
| वितरण मंत्रालय 18 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग | FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution | | | |
| भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। | For meeting expenditure on Central Vigilance Committee constituted as per directions of Supreme Court of India. | - | 0.54 | 0.54 |
| संस्कृति मंत्रालय | MINISTRY OF CULTURE | | | |
| 19 संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित के लिए (क) स्वाधीनता का पहला संग्राम, 1857 की 150वीं वर्षगांठ, भारत की स्वाधीनता की 60वीं वर्षगांठ, वंदेमातरम को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने सम्बन्धी शताब्दी समारोह, शहीद भगत सिंह की शहादत और शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी समारोह (30.00 करोड़ रुपए) और (ख) संगीत नाटक अकादमी आदि के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त आवंटन (5.00 करोड़ रुपए)। | For (a) celebrating 150th Anniversary of First War of Independence, 1857, 60th Anniversary of India's Independence, Centenary Celebration of Adoption of Vande Mataram as National Song, 75th Anniversary of the Martyrdom of Shaheed Bhagat Singh and Birth Centenary of Shaheed Bhagat Singh (Rs. 30.00 crore) and (b) additional allocation for programmes of Sangeet Natak Acadami, etc (Rs. 5.00 crore). | - | 35.00 | 35.00 |
| वित्त मंत्रालय 33 वित्तीय संस्थाओं को भुगतान | MINISTRY OF FINANCE 33 Payments to Financial Institutions | | | |
| पात्र सदस्य देशों को गरीबी में कमी लाने और विकास सुविधा हेतु आपातकालीन प्राकृतिक आपदा सहायता की वचनबद्धता की पहली किस्त के भुगतान हेतु | For making payment of first instalment of pledge to Emergency Natural Disaster Assistance for Poverty Reduction and Growth Facility eligible member countries. | - | 1.85 | 1.85 |
| 35 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण | 35 Transfers to State and Union Territory | | | |
| विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु:- | Governments For providing Additional Central Assistance for Externally Aided Projects:- | | | |
| (क) सहायता-अनुदान संघटक। (ख) ऋण संघटक। | (a) towards grant-in-aid Component.(b) towards Loan Component | 300.00 1,000.00 | - | 300.00 1000.00 |
| गृह मंत्रालय 50 गृह मंत्रालय | MINISTRY OF HOME AFFAIRS 50 Ministry of Home Affairs | | | |
| (क) मोटर वाहन दुर्घटना दाता न्यायाधिकरण मामलों में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु। (ख) संघवाद पर चौथे अंतराष्ट्रीय सम्मेलन संबंधी | (a) For payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal cases.(b) For expenditure on 4th International | - | 0.05 | 0.05 |
| (ख) संचवाद पर चाथ अंतराष्ट्राय सम्मलन संबंधा व्यय हेतु। | (b) For expenditure on 4th International Conference on Federalism. | - | 18.00 | 18.00 |

| अनुव | दानों की पूरक मांगें, 200 | 07-2008 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR | R GRANTS | | (iii) |
|---|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| | | | (क | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा म | नदों का विवरण (| Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| | ुलिस (आईटीबीपी) के ों के निर्माण की वजह | 2 Police (a) For meeting establishment related expenditure on account of raising additional battalions of Indo-Tibetan Border Police (ITBP). | _ | 120.00 | 120.00 |
| निर्माण के परिणामस्वर | ोरिक्त बटालियनों के ह्म मशीन एवं उपकरण, वनों आदि संबंधी व्यय | (b) For meeting expenditure on machinery and equipment, vehicles, land and buildings, etc as a sequel to raising additional battalions of ITBP. | _ | 80.00 | 80.00 |
| 53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय वर्ष 2002 के गुजरात साम्प्र में मारे गए व्यक्तियों के र घायल व्यक्तियों को अनुम् साथ-साथ वैसे व्यक्ति जिन और बीमा न की गई वाणिजि को क्षति हुई थी, को क्षति राहत प्रदान करने हेतु। | दायिक दंगों के पीड़ितों संबंधियों को क्षतिपूर्ति, प्रह राशि सहायता के नकी आवसीय सम्पत्ति थेक/औद्योगिक सम्पत्ति | Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs For providing additional relief to the 2002 Gujarat communal riots victim as compensation to the next of kin, ex-gratia assistance to persons injured as well as compensation to the people whose residential property as well as uninsured commercial/industrial property was damaged. | - | 106.57 | 106.57 |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय | M | IINISTRY OF LABOURAND EMPLOYMENT | | | |
| मूल्यांकन मानकों का सॉफ्टवेयर आदि का परियोजना प्रबंधन कक्ष का सृजन संबंधी व्यय (ii) विश्व बैंक सहा प्रशिक्षण सुधार परियो तहत अंडमान एवं निव् एवं नागर हवेली, दमन के संघ राज्य क्षेत्रों 4 संस्थानों (आईटीआई) जारी करना (4.90 व विश्व बैंक सहायता रे शीर्षस्थ हाई-टेक इंस्टिस्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीं 6 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टी इंस्टीट्यूट फॉर इले इन्ट्रमेंटेशन, फोरमेन ट्रेरिं सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यू वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यू | (i) दक्षता विकास पहल त विज्ञापन एवं प्रचार, विकास, वेब आधारित विकास और राष्ट्रीय त और छः क्षेत्रीय कक्षों (15.50 करोड़ रुपए), यता से व्यावसायिक जना (वीटीआईपी) के कोबार द्वीपसमूह, दादर त एवं दीव और लक्षद्वीप 4 औद्योगिक प्रशिक्षण को सहायता अनुदान करोड़ रुपए) और (iii) त वीटीआईपी के तहत तेट्यूट; बंगलौर, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट, कोलकाता, | 9 Ministry of Labour and Employment (a) For (i) expenditure towards advertisement and publicity, development of assessment standards, development of web-based software, etc and creation of National Project Management Cell and six Regional cells under Skill Development Initiative (SDI) (Rs. 15.50 crore), (ii) release of grants-in-aid to 4 Industrial Training Institutes(ITI) in Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, and Lakshadweep under Vocational Training Improvement Project (VTIP) with World Bank assistance (Rs. 4.90 crore), and (iii) expenditure for strengthening of Apex Hi-tech Institute, Bangalore, Central Staff Training and Research Institute, Kolkata, National Instructional Media Institute, Chennai, 6 Advance Training Institute for Electronic and Process Instrumentation, Foreman Training Institute, Bangalore, Central Training Institute, Chennai and National | | | |

Vocational Training Institute, Noida under VTIP with World Bank assistance (Rs.

on advertisement and publicity,

development of assessment standards,

etc. under SDI (Rs. 0.45 crore) and (ii)

release of grants-in-aid to 27 States for

(b) For (i) meeting additional expenditure

42.15 crore).

62.55

62.55

(ख) निम्नलिखित के लिए (i) एसडीआई के तहत विज्ञापन एवं प्रचार; मूल्यांकन मानकों का विकास आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (0.45 करोड़ रुपए) और (ii) विश्व बैंक सहायता से वीटीआईपी के तहत 27 राज्यों

| | | | रोड़ रुपए Rupee | |
|---|--|----------------|--------------------------|-----------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | न जोड़ Total |
| के 242 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को सर्वोत्कृष्ट केन्द्र/आईटीआई के उन्नयन और अनुदेशक प्रशिक्षण स्कंधों की स्थापना/राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट/मॉनिटर करने और मूल्यांकन आदि हेतु सहायता अनुदान जारी करना (167.40 करोड़ रुपए)। | 242 ITIs for establishment of Centres of Excellence/Up gradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings/State Project Implementation Unit/Monitoring and Evaluation, etc under VTIP with World Bank assistance (Rs. 167.40 crore). | 167.85 | - | 167.85 |
| (ग) विश्व बैंक सहायता से वीटीआईपी के तहत दिल्ली में 3 आईटीआई और पुडुचेरी में एक आईटीआई को सहायता अनुदान जारी करने हेतु। | (c) For release of grants-in-aid to 3 ITIs in Delhi and ITI in Puducherry under VTIP with World Bank assistance. | 5.50 | - | 5.50 |
| खान मंत्रालय 63 खान मंत्रालय निम्नलिखित के संबंध में वेतन के अंतर्गत निधियों में बढ़ोतरी हेतु (क) भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (12.00 करोड़ रुपए) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो (3.00 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF MINES 63 Ministry of Mines For augmentation of funds under salaries in respect of (a) Geological Survey of India (Rs. 12.00 crore) and (b) Indian Bureau of Mines (Rs. 3.00 crore). | 15.00 | - | 15.00 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय 78 ग्रामीण विकास मंत्रालय सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिसके तहत खाद्यान्न संघटक (1103.72 करोड़ रुपए) और विशेष संघटक (72.82 करोड़ रुपए) शामिल है। | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 78 Department of Rural Development For meeting the additional requirement of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana comprising of Food grains Component (Rs.1103.72 crore) and Special Component (Rs. 72.82 crore). | 300.00 | - | 300.00 |
| शहरी विकास मंत्रालय 99 शहरी विकास विभाग मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को केन्द्रीय कर संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु गौण ऋण के रूप में ऋण प्रदान करने हेतु। | MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 99 Department of Urban Development For extending loan to Delhi Metro Rail Corporation Limited as subordinate debt for meeting expenditure of Central Taxes. | 50.00 | - | 50.00 |
| 100 लोक निर्माण कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दिल्ली के कार्यालय भवन (10.00 करोड़ रुपए) और चेन्नई में वृहत् करदाता यूनिट के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय (8.10 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। | 100 Public Works For meeting additional expenditure for construction of office building for Comptroller and Auditor General, Delhi (Rs. 10.00 crore) and for Large Tax Payer Unit at Chennai (Rs. 8.10 crore). | - | 18.10 | 18.10 |
| युवा मामले और खेल मंत्रालय | MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND | | | |
| 104 युवा मामले और खेल मंत्रालय (क) 'राष्ट्रमंडल खेल' योजना के तहत आधारभूत ढांचे के विकास/उन्नयन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। (ख) 'राष्ट्रमंडल खेल' योजना के तहत आयोजन समिति, राष्ट्रमंडल खेल की वित्तीय वचनबद्धाओं संबंधी ऋण हेतु। | SPORTS 104 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) For meeting additional expenditure for development/up gradation of Infrastructure under the scheme of 'Commonwealth Games'. (b) For loan on the financial commitments of the Organising Committee, Commonwealth Games under the scheme of 'Commonwealth Games'. | 75.00 | 70.21 | 75.00 70.21 |
| जोड़ नकद व्यय | Total Cash Outgo | 2,475.90 | 7,952.32 | 0,428.22 |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|--|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total | |
| 3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में 9,983.62 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तद्नरूपी बचतों द्वारा की जाती है। ये मदें निम्नलिखित हैं: | 3. This Batch of Supplementary Demands for grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 9,983.62 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows: | | | | |
| तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें | Technical Supplementary Demands for grants | | | | |
| कृषि मंत्रालय 1 कृषि और सहकारिता विभाग केन्द्र सरकार के औद्यौगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय, जबलपुर के फैसले के अनुपालन में जैविक कृषि योजना के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत वेतन की बकाया राशियों के भुगतान हेतु। | MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation For payment of arrears of wages under National Project on Promotion of Organic Farming Scheme in compliance with the Judgement of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur. | 0.01 | - | 0.01 | |
| परमाणु ऊर्जा विभाग 5 परमाणु ऊर्जा राजा रमन्ना सेन्टर फॉर एडवांसड् टेक्नोलोजी के भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में न्यायालय के आदेश की वजह से व्यय की पूर्ति हेतु। | DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY Atomic Energy For meeting expenditure arising out of court decree for land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology. | - | 17.41 | 17.41 | |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय 8. उर्वरक विभाग निम्नलिखित पर सब्सिडी के लिए (क) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (3250.00 करोड़ रुपए), (ख) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (3250.00 करोड़ रुपए), (ग) आयातित यूरिया (3500.00 करोड़ रुपए और नाइट्रोजनी उर्वरक (5000.00 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF CHEMICAL SAND FERTILISERS 8 Department of Fertilisers For subsidy on (a) imported decontrolled fertilisers (Rs. 3250.00 crore), (b) indigenous decontrolled fertilisers (Rs. 3250.00 crore), (c) imported urea (Rs. 3500.00 crore) and (d) nitrogenous fertilisers (Rs. 5000.00 crore). | - | 8,450.00 | 3,450.00 | |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND | | | | |
| 14. दूरसंचार विभाग (क) निम्नलिखित को बट्टे-खाते डालने हेतु (i) संवैधानिक देय राशियों की देयता पूरा करने और स्वैच्छिक सेवानिवृति योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदत्त ऋण (352.00 करोड़ रुपए) और (ii) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेतनों के भुगतान हेतु प्रदत्त ऋण (25.00 करोड़ रुपए)। (ख) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नई दिल्ली | INFORMATION TECHNOLOGY 14 Department of Telecommunications (a) For write-off of (i) the loan provided towards meeting liability of statutory dues and implementation of Voluntary Retirement Schemes (Rs. 352.00 crore) and (ii) the loan provided for payment of salaries (Rs. 25.00 crore) to M/s Indian Telephone Industries Limited. (b) For making payment towards | - | 377.00 | 377.00 | |
| द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार क्षतिपूर्ति के संबंध में भुगतान करने हेतु। | compensation as per the award given by Motor Accident Claim Tribunal, New Delhi. | - | 0.08 | 0.08 | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, | | | | |
| 18 खाद्य एवं लोक वितरण विभाग | FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution | | | | |
| चीनी के एक वर्ष के अतिरिक्त बफर स्टॉक के रख-रखाव के संबंध में सब्सिडी हेतु। | For subsidy towards maintenance of additional buffer stock of sugar for one year. | - | 300.00 | 300.00 | |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| संस्कृति मत्रालय | MINISTRY OF CULTURE | | | |
| 19 संस्कृति मंत्रालय | 19 Ministry of Culture | | | |
| निम्नलिखित को सहायता-अनुदान प्रदान करने | For grants-in-aid to (a) Sabarmati Ashram, | | | |
| हेतु (क) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद (10.00 | Ahmedabad (Rs. 10.00 crore), (b) | | | |
| करोड़ रुपए), (ख) भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च | Bhandarkar Oriental Research Institute, | | | |
| इंस्टीट्यूट, पुणे (5.00 करोड़ रुपए) और (ग) | Pune (Rs. 5.00 crore) and (c) Nehru | | | |
| नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली | Memorial Museum and Library, New Delhi | | | |
| (20.00 करोड़ रुपए)। | (Rs. 20.00 crore). | 35.00 | - | 35.00 |
| क्षा मंत्रालय | MINISTRY OF DEFENCE | | | |
| 23 रक्षा सेवाएं-नौसेना | 23 Defence Services - Navy | | | |
| सामरिक महत्व के बल के 1 अप्रैल 2007 से | For meeting expenditure on newly raised | | | |
| प्रभावी आदेश के तहत नवनिर्मित यूनिटों के संबंध | units placed under Strategic Forces | | | |
| में व्यय की पूर्ति हेतु। | Command with effect from 1st April, 2007. | - | 63.83 | 63.83 |
| 26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास | 26 Defence Services - Research and Development | | | |
| न्यायालय के आदेश की वजह से व्यय की पूर्ति | For meeting expenditure arising out of Court | | | |
| हेतु। | decrees. | - | 0.50 | 0.50 |
| 27. रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय | 27 Capital Outlay on Defence Services | | | |
| न्यायालय के आदेश की वजह से व्यय की पूर्ति | For meeting expenditure arising out of Court | | | • • • |
| हेतु। | decrees. | - | 3.85 | 3.85 |
| वेत्त मंत्रालय | MINISTRY OF FINANCE | | | |
| 32. आर्थिक कार्य विभाग | 32 Department of Economic Affairs | | | |
| नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च | For providing concessional loan for | | | |
| के आधारभूत ढांचा संबंधी विकास हेतु रियायती ऋण प्रदान करने हेतु। | infrastructure development of National Council for Applied Economic Research. | - | 15.00 | 15.00 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY | | | |
| | WELFARE | | | |
| 46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 46 Department of Health and Family Welfare | | | |
| (क) सफदरजंग अस्पताल के अतिरिक्त भवन निर्माण | For (a) additional construction related | | | |
| और मशीन एवं उपकरण संबंधी व्यय के लिए | expenditure and procurement of machinery | | | |
| (17.00 करोड़ रुपए) और (ख) डॉ राम मनोहर | | | | |
| लोहिया अस्पताल में रनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा | 17.00 crore) and (b) construction of Post | | | |
| एवं अनुसंघान संस्थान के भवन निर्माण के लिए | Graduate Institute of Medical Education and | | | |
| (20.00 करोड़ रुपए)। | Research at Dr. Ram Manohar Lohia | | | |
| | Hospital (Rs. 20.00 crore). | 37.00 | - | 37.00 |
| भारी उद्योग एवं सरकारी उद्यम मंत्रालय | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND | | | |
| 0 \ 0 | PUBLIC ENTERPRISES | | | |
| 48 भारी उद्योग विभाग | 48 Department of Heavy Industry | | | |
| (क) न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नेशनल | (a) Payment of dues to the ex-employees | | | |
| इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड | of National Industrial Development | | | |
| (एनआडीसी) के भूतपूर्व कर्मचारियों को | Corporation Limited (NIDC) in | | 0.41 | 0.41 |
| देय राशियों का भुगतान। (ख) (i) एनआईडीसी को आधिकारिक परिसमापक | compliance of Court Order. | - | 0.41 | 0.41 |
| (ख) (i) एनआईडीसी को आधिकारिक परिसमापक के वेतनों के भुगतान और दि. 1.9.2006 | (b) (i) grants-in-Aid to NIDC for payment | | | |
| क वतना क मुगतान आर 1द. 1.9.2006 से 31.3.2008 तक की अवधि के लिए | of salaries to the Official Liquidator and | | | |
| स 31.3.2008 तक का अवाध क लिए प्रशासनिक व्यय के लिए सहायता अनुदान | administrative expenses for the period | | | |
| प्रशासानक व्यय के लिए सहायता अनुदान (0.16 करोड़ रुपए) और (ii) आवश्यक | 1.9.2006 to 31.3.2008 (Rs. 0.16 crore) | | | |
| (0.16 कराड़ रुपए) आर (II) आवश्यक लेखा समायोजनों अर्थात् भारत सरकार के | and (ii) For carrying out necessary accounting adjustments viz., waiver of | | | |
| ऋण (21.73 करोड़ रुपए) पर बकाया ब्याज | interest outstanding on Government of | | | |
| म्हण (21.13 पाराक् रामए) पर विपाया ब्याज | interest outstanding on Government of | | | |

| | 2007 2000 SCITEDINENTIAL DEMINISTRA | |) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | ्रायोजना आयोजना | रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न | <i>in Crore)</i> जोड़ |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| - की माफी हेतु, और मेसर्स एण्डू यूले एंड | India loan (Rs. 21.73 crore) and write | | | |
| कम्पनी लि. के संबंध में दि. 31.3.2007 | down of equity (Rs. 226.43 crore) as | | | |
| की स्थिति के अनुसार इक्विटी कम करना | on 31.3.2007 in respect of M/s Andrew | | | |
| (226.43 करोड़ रुपए), (iii) मेसर्स नेशनल | Yule and Company Limited, (iii) write- | | | |
| इन्ट्र्मेंट्स लि. के संबंध में दि.31.3.2006 | off of outstanding Government of India | | | |
| की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के | loan (Rs. 90.55 crore), waiver of interest | | | |
| बकाया ऋण (90.55 करोड़ रुपए) को बहे | (Rs. 138.08 crore) and write-down of | | | |
| खाते डालना, ब्याज माफी (138.08 करोड़ | equity (Rs. 8.31 crore) as on 31.3.2006 | | | |
| रुपए) और इक्विटी (8.31 करोड़ रुपए) | in respect of M/s National Instruments | | | |
| को कम करना (iv) मेसर्स नागालैंड पत्प | Limited, (iv) write off of outstanding | | | |
| एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड के संबंध में भारत | Government of India loan (Rs. 29.87 | | | |
| सरकार के ऋण (29.87 करोड़ रुपए) को | • | | | |
| बट्टे खाते डालना और ब्याज (52.62 करोड़ | crore) and waiver of interest (Rs. 52.62 | | | |
| बहु खात डालना जार ब्याज (52.62 कराड़ रुपए) की माफी। | crore) in respect of M/s Nagaland Pulp and Paper Company Limited. | _ | 567.75 | 567.75 |
| V15/ 47/ 11/2/1 | and ruper Company Emitted. | | 307.73 | 307.73 |
| गृह मंत्रालय | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | |
| 52 पुलिस | 52 Police | | | |
| नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी संबंधी पूंजी व्यय की | For meeting capital expenditure on North | | | |
| पूर्ति हेतु। | Eastern Police Academy. | 1.10 | - | 1.10 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT | | | |
| 78 ग्रामीण विकास विभाग | 78 Department of Rural Development | | | |
| स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बाजार | For purchase of land and construction of | | | |
| परिसर की भूमि की खरीद और भवन-निर्माण हेत् | | | | |
| तथा ग्रामीण उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना देने | marketing complex and for setting up of | | | |
| | marketing infrastructure to promote sale and | | | |
| और प्रचार करने के लिए विपणन आधारभूत ढांचे स्थापना के लिए। | publicity of rural products of Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana. | 20.00 | | 20.00 |
| रवायना के लिए। | Orani Swarozgar Tojana. | 20.00 | _ | 20.00 |
| नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय | MINISTRY OF SHIPPING, ROAD | | | |
| | TRANSPORT AND HIGHWAYS | | | |
| 84 नौवहन विभाग | 84 Department of Shipping | | | |
| न्यायालय के आदेश की वजह से सीमेंन्स प्रोविडेंड | For depositing the amount in Seamens' | | | |
| फंड ऑर्गनाइजेशन में राशि जमा करने हेतु। | Provident Fund Organisation, Mumbai | | | |
| | arising out of court decree. | - | 92.78 | 92.78 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | MINISTRY OF MICRO, SMALL AND | | | |
| तूबन, संयु र्य नव्यन चयन नत्रास्य | MEDIUM ENTERPRISES | | | |
| 86 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम- | 86 Ministry of Micro, Small and Medium | | | |
| लघु उद्योग मंत्रालय) | Enterprises (Previously Ministry of Small | | | |
| | Scale Industries) | | | |
| 'ग्रामीण एवं लघु उद्योग' योजना के तहत कार्यालय | For purchase of land and construction of | | | |
| स्थान की भूमि की खरीद और भवन निर्माण हेतु। | office accommodation under the scheme | | | |
| | 'Village and Small Industries'. | 1.90 | - | 1.90 |
| जोड़ तकनीकी | Total Technical | 95.01 | 9,888.61 | 9,983.62 |
| 4 नीचे सूचीबद्ध की गयी मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक | 4. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are | | | |
| के लिए 1 लाख रूपए का पूरक अनुदान भी | also proposed to be taken in respect of items | | | |
| प्रस्तावित है, मद के समक्ष दर्शाए गए व्यय की | listed below, the expenditure indicated against | | | |
| पूर्ति सम्बद्ध अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, | which will be met by reappropriation of savings | | | |
| पूरा सम्बद्ध अनुदान के राजस्य अथवा यूजा नान, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत बचत के पुनर्विनियोग | within the Revenue or Capital Section, as the | | | |
| जसा मा मामला हा, क अन्तगत बचत क पुनावानयाग से की जाएगी। | | | | |
| त पम आऱ्या। | case may be, of the relevant grant. | | | |

| | | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|------------|---|--|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुद | ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| अनु | ज्ञानों की सांकेतिक पूरक मांगें | Token Supplementary Demands for grants | | | |
| कृषि 1 | मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना स्कीम 'गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु ढाँचागत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण' के तहत बीज पुनःस्थापन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आत्महत्या प्रभावित जिलों में किसानों के लिए पुर्नवास पैकेज के कार्यान्वयन हेतु। | MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation For implementation of Rehabilitation Package for farmers in suicide-affected districts for enhancing seed replacement programme under Central Sector Plan scheme "Development and Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Quality Seeds". | 177.37 | - | 177.37 |
| नाग 9 | र विमानन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की समामेलित कम्पनी, नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया को पंजीकरण प्रभार और मूल पूंजी हेतु। | MINISTRY OF CIVIL AVIATION 9 Ministry of Civil Aviation For registration charges and seed capital to National Aviation Company of India, an amalgamated company of Air India and Indian Airlines. | 0.06 | - | 0.06 |
| वाणि 11 | ाज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायबरेली, उत्तर प्रदेश में फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के उन्नयन के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु। | MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department of Commerce For meeting expenditure in connection with the up gradation of Footwear Design Development Institute at Rae Bareilly, Uttar Pradesh. | 31.00 | _ | 31.00 |
| 12 | औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्ध संस्थान के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु। | Promotion For meeting expenditure in connection with the setting up of National Institute for Intellectual Property Management. | 8.25 | - | 8.25 |
| • | ति मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय (क) कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने हेतु अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विद्वानों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु। (ख) गुरु-ता-गड्डी, 2008 की त्रिशताब्दी के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता हेतु। | MINISTRY OF CULTURE 19 Ministry of Culture (a) For financial assistance for engaging scholars for undertaking research projects for furtherance of Art and Culture. (b) For financial assistance for Commemoration of Tercentenary of Guru-Ta-Gaddi, 2008. | 5.00 | 8.00 | 5.00 |
| | तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION | | | |
| 28 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (क) सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु असम एवं अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों को सहायता अनुदान हेतु। | 28 Ministry of Development of North Eastern Region (a) For grants-in-aid to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh for implementation of Sarva | | | |
| | (ख) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं के लिए। | Shiksha Abhiyan. (b) For working capital requirements of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited. | 36.16 | 1.37 | 1.37 |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| वित्त मंत्रालय 44 विनिवेश विभाग राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त होने वाली अनुमानित निधियों से, तीन निम्मलिखित चुनिंदा निधि प्रबंधकों को आवंटन हेतु (क) जीवन बीमा संयोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (257.00 करोड़ रुपए), (ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (448.00 करोड़ रुपए) और (ग) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (946.00 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF FINANCE 44 Department of Disinvestment For allocation to three selected Fund Managers i.e. (a) Jeevan Bima Sahyog Asset Management Company Limited (Rs. 257.00 crore), (b) State Bank of India (SBI) Funds Management Private Limited (Rs. 448.00 crore) and (c) Unit Trust of India (UTI) Asset Management Company Private Limited (Rs. 946.00 crore) from the funds estimated to be received in National Investment Fund. | - | 1,651.00 | 1651.00 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 46 Department of Health and Family | | | |
| (क) परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र के जरिए टीबी रोधी औषधियों की खरीद के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु (45.00 करोड़ रुपए) और (ख) गांधी मेमोरियल कुष्ठ फाउंडेशन, वर्धा को सहायता अनुदान (0.36 करोड़ रुपए)। | Welfare For (a) meeting an expenditure towards procurement of anti TB drugs through United Nations Office for Project Services (Rs. 45.00 crore) and (b) grants-in-aid to Gandhi Memorial Leprosy Foundation, Wardha (Rs. 0.36 crore). | - | 45.36 | 45.36 |
| भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES | | | |
| (क) मेसर्स एण्डू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड के संबंध में इसकी पुनर्संरचना जैसे (i) भारत सरकार के ऋण को संचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों (2.04 करोड़ रुपए) में परिवर्तन और (ii) भारत सरकार के ऋण को 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन (116.52 करोड़ रुपए) के अनुमोदन के परिणाम स्वरूप आवश्यक लेखा समायोजन पूरा करने हेतु। | (a) For carrying out necessary accounting adjustments in respect of M/s Andrew Yule and Company Limited consequent upon approval of its restructuring viz., (i) conversion of Government of India loan into cumulative redeemable preference shares (Rs. 2.04 crore) and (ii) conversion of Government of India loan into equity as on 31.3.2007 (Rs. | 110.57 | | 110.57 |
| (ख) मेसर्स नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड को इसकी पुनर्संरचना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप इक्विटी निवेश। | 116.52 crore).(b) Equity investment in M/s Nagaland Pulp and Paper Company Limited consequent upon approval of its | 118.56 | - | 118.56 |
| (ग) निम्नलिखित कम्पनियों को अनुमोदित पूँजी पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में (i) मेसर्स एण्डू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण (73.76 करोड़ रुपए) और (ii) मेसर्स नेशनल इंस्ट्रूमेट्स लिमिटेड को ऋण (0.23 करोड़ रुपए)। | restructuring. (c) (i) Interest free loan to M/s Andrew Yule and Company Limited (Rs. 73.76 crore) and (ii) loan to M/s National Instruments Limited (Rs. 0.23 crore), as part of approved capital restructuring plan of these Companies. | 54.60 | 73.99 | 54.6073.99 |
| गृह मंत्रालय 53 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय | MINISTRY OF HOME AFFAIRS 53 Other Expenditure of the Ministry of | | | |
| 1984 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु। | Home Affairs For providing enhanced compensation to victims of 1984 riots. | - | 66.00 | 66.00 |

| | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------|
| अनु | इान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| 54 | संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण वर्ष 1984 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को वर्धित क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु। | 54 Transfers to Union Territory Governments For providing enhanced compensation to victims of 1984 riots. | - | 100.00 | 100.00 |
| मान | व संसाधन विकास मंत्रालय | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | | | |
| 56 | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 56 Department of School Education and Literacy | | | |
| | प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के तहत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु। | For providing academic and technical assistance to the National Literacy Mission under Directorate of Adult Education. | 8.00 | - | 8.00 |
| 57 | उच्च शिक्षा विभाग (क) (i) ''मानवीय मूल्यों में शिक्षा हेतु एजेन्सियों को सहायता'' योजना के तहत सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए) और (ii) ''वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग'' को इसके कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक ढांचागत विकास के लिए अतिरिक्त सहायता (0.30 करोड़ | 57 Department of Higher Education (a) For (i) grants-in-aid under the scheme "Assistance to Agencies for Education in Human Values" (Rs. 3.00 crore), and (ii) additional assistance to "Commission for Scientific and Technical Terminology" for development of necessary infrastructure for running the programme | | | |
| | रुपए)। (ख) ''दूरवर्ती शिक्षा में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और कॉलेज नेटवर्क की स्थापना'' योजना के तहत राष्ट्रमंडल शिक्षा में अंशदान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। | of the Commission(Rs. 0.30 crore). (b) To meet additional requirement of Contribution to the Commonwealth of Learning under the scheme "Setting up of Commonwealth University and College- | 3.30 | - | 3.30 |
| | (ग) ''पोलीटेक्निक शिक्षा के सुधार हेतु विश्व बैंक परियोजना'' योजना के तहत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। | Network in the Distance Education". (c) To meet additional requirement of payment of Professional and Special Services under the scheme "World Bank Project for Improvement of Polytechnic | 0.05 | 1.54 | 1.54 |
| | (घ) रैगिंग के परिणामों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विज्ञापन अभियान के लिए अतिरिक्त | Education". (d) To meet additional requirement for advertisement campaign to create | 0.85 | - | 0.85 |
| | आवश्यकता की पूर्ति के लिए। (डं) ''भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' योजना को पुनः चालू करने के लिए सहायता अनुदान। | awareness of the consequences of ragging. (e) grants-in-aid under the scheme "Appointment of Language Teachers" | - | 5.00 | 5.00 |
| | | for the restoration of the scheme. | 17.50 | - | 17.50 |
| नवी | न एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY | | | |
| 65 | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (क) सौर-फोटोवाल्टीय पम्प कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित के व्यय हेतु (i) नए लक्ष्यों और पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए) (ii) सब्सिडियों की पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु (2.50 करोड़ रुपए (ख) निम्नलिखित के तहत सहायता अनुदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (1.50 करोड़ रुपए) (ii) सूचना एवं प्रचार कार्यक्रम (0.50 करोड़ रुपए) (iii) आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (1.00 करोड़ रुपए) और (iv) विशेष क्षेत्र परियोजना - प्रदर्शन (ऊर्जा पार्क/विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (4.00 करोड़ रुपए)। | For (a) expenditure under Solar Photovoltaic Pump Programme (i) grants-in-aid to meet new targets and past commitment (Rs. 0.25 crore), (ii) to meet past commitments of subsidies (Rs. 2.50 crore), (b) grants-in-aid under (i) International Cooperation (Rs. 1.50 crore), (ii) Information and Publicity Programme (Rs. 0.50 crore) (iii) Data Management System (Rs. 1.00 crore) and (iv) Special Area Project-Demonstration (Energy Parks/Special Area Development Programme) (Rs. 4.00 crore). | 9.75 | | 9.75 |

| | | | in Crore, | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| पंचायती राज मंत्रालय 67 पंचायती राज मंत्रालय पंचायत युवा एवं महिला शक्ति अभियान के कार्यान्वयन (4.00 करोड़ रुपए), मीडिया एवं प्रचार (6.90 करोड़ रुपए), अनुसंधान अध्ययन (2.00 करोड़ रुपए) और ग्रामीण व्यापार केन्द्र (2.00 करोड़ रुपए) के लिए। | MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ 67 Ministry of Panchayati Raj For implementation of Panchayat Yuva Evam Mahila Shakti Abhiyan (Rs. 4.00 crore), Media and Publicity (Rs. 6.90 crore), Research Studies (Rs. 2.00 crore) and Rural Business Hubs (Rs. 2.00 crore). | 14.90 | - | 14.90 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मत्रालय | MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 69 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions | | | |
| भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के ढांचागत उन्नयन संबंधी व्यय हेतु। | For expenditure on up gradation of infrastructure of Indian Institute of Public Administration. | 0.50 | - | 0.50 |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 70. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जमा किए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क की वापसी हेतु। | MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 70 Ministry of Petroleum and Natural Gas For refund of Petroleum Exploration Licence Fees deposited by Gas Authority of India Limited. | - | 0.20 | 0.20 |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 86. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व नाम - लघु उद्योग मंत्रालय) | MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 86 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously Ministry of Small Scale Industries) | | | |
| (क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (i) 'प्रौद्योगिकी गुणवत्ता समर्थन संस्था एवं कार्यक्रम' पर सब्सिडियां (85.30 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक प्रभार (0.20 करोड़ रुपए), अन्य प्रशास (0.42 करोड़ रुपए), (ii) 'प्रोत्साहन सेवा संस्थाएं और विज्ञापन एवं प्रचार कार्यक्रम' (2.25 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (17.08 करोड़ रुपए), (iii) 'एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तम्भ', अन्य प्रभार (38.70 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय (0.03 करोड़ रुपए), और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.02 करोड़ रुपए), (iv) 'अंशदान संबंधी ऋण समर्थन कार्यक्रम' (185.90 करोड़ रुपए), (v) सब्सिडी पर एमडीए कार्यक्रम (1.35 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (2.65 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (2.65 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (0.55 करोड़ रुपए))। | (a) For meeting expenditure under the scheme of (i) 'Quality of Technology Support Institution and Programme' on Subsidies (Rs. 85.30 crore),Other Administrative Expenses (Rs. 0.20 crore), Other Charges (Rs. 0.42 crore), (ii) 'Promotional Service Institutions and Programmes' on Advertising and Publicity (Rs. 2.25 crore) and Other Charges (Rs. 17.08 crore), (iii) 'MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles' on Other Charges (Rs. 38.70 crore), Office expenses (Rs. 0.03 crore) and Other Administrative Expenses (Rs. 0.02 crore), (iv) 'Credit Support Programme' on Contribution (Rs. 185.90 crore), (v) 'MDA Programme' on subsidy (Rs. 1.35 crore) and Other Charges (Rs. 2.65 crore) and (vi) 'Updation of Data Base' on Other Administrative Expenses (Rs. 2.45 crore) and Other Charges (Rs. 0.55 crore). | 336.90 | - | 336.90 |
| (ख) लघु उद्योगों के आंकड़ों के संग्रहण हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान। | (b) For providing grants-in-aid to State Governments for collection of Statistics of Small Scale Industries. | 13.70 | - | 13.70 |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total | |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT | | | | |
| 87. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | 87 Ministry of Social Justice and Empowerment | | | | |
| अनुसंधान अध्ययन एवं अनुसंधान प्रकाशन योजना के तहत व्यय की पूर्ति हेतु। | For meeting expenditure under the scheme of Research Studies and Research Publications. | 0.20 | - | 0.20 | |
| जनजातीय मामले मंत्रालय | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS | | | | |
| 93. जनजातीय मामले मंत्रालय निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (क) जनजातीय कलाओं और शिल्पकारों को 'जनजातीय उत्पाद/उत्पादन का बाजार विकास', योजना के तहत प्रोत्साहन एवं विपणन हेतु ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को (21.71 करोड़ रुपए) और (ख) 'मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन' योजना के तहत मूल्यांकन व अध्ययन के संचालन हेतु विशिष्टकृत एजेंसियां (0.50 करोड़ रुपए)। | For providing grants-in-Aid to (a) Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited for promoting and marketing of tribal crafts and artifacts under the Scheme 'Market Development of Tribal Products/Produce' (Rs. 21.71 crore) and (b) specialised agencies for conducting evaluation studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation' (Rs. 0.50 crore). | 22.21 | - | 22.21 | |
| युवा मामले एवं खेल मंत्रालय 104.युवा मामले एवं खेल मंत्रालय "अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार" योजना के तहत लम्बित देयताओं की पूर्ति हेतु। | MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 104 Ministry of Youth Affairs and Sports For meeting pending liabilities under the scheme of "Special Awards to Winners of Medals in International Sports Events and | | | | |
| | their Coaches". | 10.50 | - | 10.50 | |
| जोड़ सांकेतिक | Total Token | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |
| 5. तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 131.33 करोड़ रुपए के पांच अग्रिमों की स्वीकृत दी गई थी। इन्हें पूरक अनुदानों मांगें स्वीकृत होने के पश्चात इस निधि को वापस कर दिया जाएगा। | 5. Five advances aggregating Rs. 131.33 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for grants are sanctioned. | | | | |
| कुल जोड़ | GRAND TOTAL | 2,571.11 | 17,841.03 20 | 0,412.14 | |
| निवल नकद व्यय | Net Cash Outgo | 2,475.90 | 7,952.32 10 | ,428.22 | |
| तकनीकी पूरक | Technical Supplementary | 95.01 | 9,888.61 9 | ,983.62 | |
| सांकेतिक पूरक | Token Supplementary | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |

विषय सूची CONTENTS

| | | | | • | | Rupees in | |
|--|-------------------------|---|--------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | | पृष्ट Page |
| कृषि मंत्रालय | | MINISTRY OF AGRICULTURE | | revenue | Сиріші | 10111 | - i age |
| 1. कृषि और सहकारिता | | Department of Agriculture | | | | | |
| विभाग | भारित | and Cooperation | Charged | 0.01 | | 0.01 | 1-2 |
| | स्वीकृत | | Voted | 800.01 | ••• | 800.01 | |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | | DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY | | | | | |
| 5. परमाणु ऊर्जा | भारित | 5. Atomic Energy | Charged | | 17.41 | 17.41 | 3 |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय | | MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS | | | | | |
| 8. उर्वरक विभाग | स्वीकृत | 8. Department of Fertilisers | Voted | 15000.00 | ••• | 15000.00 | 4 |
| नागर विमानन मंत्रालय | | MINISTRY OF CIVIL AVIATION | | | | | |
| 9. नागर विमानन मंत्रालय | स्वीकृत | 9. Ministry of Civil Aviation | Voted | | 0.01 | 0.01 | 5 |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | | MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY | | | | | |
| 11. वाणिज्य विभाग | स्वीकृत | 11. Department of Commerce | Voted | 300.00 | 0.01 | 300.01 | 6 |
| 12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन | _ | 12. Department of Industrial Policy | | | | | |
| विभाग | स्वीकृत | and Promotion | Voted | 0.01 | | 0.01 | 7 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLO |)GY | | | | |
| 14. दूरसंचार विभाग | भारित | 14. Department of Telecommunications | Charged | 0.08 | | 0.08 | 8 |
| | स्वीकृत | | Voted | 377.00 | 352.00 | 729.00 | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | | MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, | ON | | | | |
| 18. खाद्य और सार्वजनिक | | FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18. Department of Food and Public | UN | | | | |
| वितरण विभाग | भारित | Distribution | Charged | 0.54 | | 0.54 | 9 |
| | स्वीकृत | | Voted | 300.00 | | 300.00 | |
| संस्कृति मंत्रालय | | MINISTRY OF CULTURE | | | | | |
| 19. संस्कृति मंत्रालय | स्वीकृत | 19. Ministry of Culture | Voted | 70.02 | ••• | 70.02 | 10-11 |
| रक्षा मंत्रालय | | MINISTRY OF DEFENCE | | | | | |
| 23. रक्षा सेवा-नौसेना | स्वीकृत | 23. Defence Services - Navy | Voted | 63.83 | | 63.83 | 12 |
| 26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान | C | 26. Defence Services - Research | | | | | |
| एवं विकास | भारित | and Development | Charged | 0.50 | | 0.50 | 13 |
| 27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | भारित | 27. Capital Outlay on Defence Services | Charged | ••• | 3.85 | 3.85 | 14 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION | | | | | |
| 28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | 28. Ministry of Development of | | | | | |
| | स्वीकृत | North Eastern Region | Voted | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 15 |
| वित्त मंत्रालय | | MINISTRY OF FINANCE | | | | | |
| 32. आर्थिक कार्य विभाग | स्वीकृत | 32. Department of Economic Affairs | Voted | ••• | 15.00 | 15.00 | 16 |
| 33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां | स्वीकृत | 33. Payments to Financial Institutions | Voted | 1.85 | | 1.85 | 17 |
| 35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों | | 35. Transfers to State and Union | <i>C</i> ! : | | 1000 00 | 1000.00 | 10 |
| को अन्तरण | <i>भारित</i> उनीक्टन | territory Governments | Charged | 200.00 | 1000.00 | 1000.00 | 18 |
| | स्वीकृत | | Voted | 300.00 | ••• | 300.00 | |

| | | | | ्पः राजस्व | ज्रोड़ रुपए <i>1</i> पूंजी | cupees ir जोड़ | |
|---|-------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | Total | पृष्ट Page |
| 44. विनिवेश विभाग | स्वीकृत | 44. Department of Disinvestment | Voted | | 0.01 | 0.01 | 19 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE | | | | | |
| 46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | स्वीकृत | 46. Department of Health and Family Welfare | Voted | 0.01 | 37.00 | 37.01 | 20 |
| भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय | | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES | | | | | |
| 48. भारी उद्योग विभाग | <i>भारित</i> स्वीकृत | 48. Department of Heavy Industry | Charged Voted | <i>0.41</i> 567.75 | 0.03 | 0.41 567.78 | 21-22 |
| गृह मंत्रालय | | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | | | |
| 50. गृह मंत्रालय | भारित | 50. Ministry of Home Affairs | Charged | 0.05 | | 0.05 | 23 |
| • | स्वीकृत | - - | Voted | 18.00 | | 18.00 | |
| 52. पुलिस | स्वीकृत | 52. Police | Voted | 120.00 | 81.10 | 201.10 | 24 |
| 53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | · · | 53. Other Expenditure of the Ministry | | | | | |
| | स्वीकृत | of Home Affairs | Voted | 106.58 | | 106.58 | 25 |
| 54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों | | 54. Transfers to Union territory | | | | | |
| को अंतरण | स्वीकृत | Governments | Voted | 0.01 | | 0.01 | 26 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | | | | | |
| 56. स्कूली शिक्षा और साक्षरता | | 56. Department of School Education | | | | | |
| विभाग | स्वीकृत | and Literacy | Voted | 0.01 | | 0.01 | 27 |
| 57. उच्च शिक्षा विभाग | स्वीकृत | 57. Department of Higher Education | Voted | 0.05 | | 0.05 | 28 |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय | | MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT | | | | | |
| 59. श्रम और रोजगार मंत्रालय | स्वीकृत | 59. Ministry of Labour and Employment | Voted | 235.90 | | 235.90 | 29-30 |
| खान मंत्रालय | | MINISTRY OF MINES | | | | | |
| 63. खान मंत्रालय | स्वीकृत | 63. Ministry of Mines | Voted | 15.00 | ••• | 15.00 | 31 |
| नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | | MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY | | | | | |
| 65. नवीन तथा नवीकरणीय | | 65. Ministry of New and | | | | | |
| ऊर्जा मंत्रालय | स्वीकृत | Renewable Energy | Voted | 0.01 | | 0.01 | 32 |
| पंचायती राज मंत्रालय | | MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ | | | | | |
| 67. पंचायती राज मंत्रालय | स्वीकृत | 67. Ministry of Panchayati Raj | Voted | 0.01 | ••• | 0.01 | 33 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | | MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS | C | | | | |
| 69. कार्मिक, लोक शिकायत और | | 69. Ministry of Personnel, Public | | | | | |
| पेंशन मंत्रालय | स्वीकृत | Grievances and Pensions | Voted | 0.01 | | 0.01 | 34 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | | MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS | | | | | |
| 70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | | 70. Ministry of Petroleum and | | | | | |
| मंत्रालय | स्वीकृत | Natural Gas | Voted | 0.01 | | 0.01 | 35 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय 78. ग्रामीण विकास विभाग | स्वीकृत | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMI 78. Department of Rural Development | E NT Voted | 300.00 | 20.00 | 320.00 | 36 |
| नौवहन, सड़क परिवहन और | · · · '¿'' | MINISTRY OF SHIPPING, ROAD | , orea | 200.00 | 20.00 | | 20 |
| राजमार्ग मंत्रालय | | TRANSPORT AND HIGHWAYS | | | | | |
| 84. नौवहन विभाग | भारित | 84. Department of Shipping | Charged | 92.78 | | 92.78 | 37 |
| | | | 0 | | | | |

| | | | | (ব | ज्रोड़ रुपए | Rupees in | crore) |
|--|---------|--|---------|----------|-------------|-----------|--------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | ो जोड़ | पृष्ट |
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | Total | Page |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | | MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES | | | | | |
| 86. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय) | स्वीकृत | 86. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (Previously-Ministry of Small Scale Industries) | Voted | 0.02 | 1.90 | 1.92 | 38 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | | MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT | | | | | |
| 87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | स्वीकृत | 87. Ministry of Social Justice and Empowerment | Voted | 0.01 | | 0.01 | 39 |
| जनजातीय मामले मंत्रालय | | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS | | | | | |
| 93. जनजातीय मामले मंत्रालय | स्वीकृत | 93. Ministry of Tribal Affairs | Voted | 0.01 | ••• | 0.01 | 40 |
| शहरी विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | | | | | |
| 99. शहरी विकास विभाग | स्वीकृत | 99. Department of Urban Development | Voted | | 50.00 | 50.00 | 41 |
| 100. लोक निर्माण कार्य | स्वीकृत | 100. Public Works | Voted | | 18.10 | 18.10 | 42 |
| युवा मामले और खेल मंत्रालय | | MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS | | | | | |
| 104. युवा मामले और खेल | | 104. Ministry of Youth Affairs | | | | | |
| मंत्रालय | स्वीकृत | and Sports | Voted | 75.01 | 70.21 | 145.22 | 43 |
| कुल जोड़ | | GRAND TOTAL | | 18745.50 | 1666.64 | 20412.14 | |
| | भारित | | Charged | 94.37 | 1021.26 | 1115.63 | |
| | स्वीकृत | | Voted | 18651.13 | 645.38 | 19296.51 | |
| अनुबंध | | ANNEXURE | | | | | 44 |

कृषि एवं सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)। (See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | 214.80 | 214.80 |
| | स्वीकृत | Voted: | 5650.91 | 81.50 | 5732.41 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.01 | | 0.01 |
| | स्वीकृत | Voted: | 800.01 | | 800.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 6450.93 | 296.30 | 6747.23 |
| | भारित | Charged: | 0.01 | 214.80 | 214.81 |
| | स्वीकृत | Voted: | 6450.92 | 81.50 | 6532.42 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2401-फसल कार्य | भारित | 2401-Crop Husbandry | Charged: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 200.01 (खb) | 300.00 (чс) | 500.01 |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to | | | | |
| सहायता अनुदान | | State Governments | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 300.00 (ਬd) | | 300.00 |
| जोड़ (पूरक अनुदान) | | Total (Supplementary) | | 500.02 | 300.00 | 800.02 |
| | भारित | | Charged: | 0.01 | | 0.01 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 500.01 | 300.00 | 800.01 |

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित

है:

- (क) केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सहश्रम न्यायाधिकरण जबलपुर के फैसले के अनुपालन में जैविक कृषि योजना के प्रोत्साहन के संबंध में राष्ट्रीय परियोजना के तहत वेतन की बकाया राशि का भुगतान। चूंकि इस संबंध में अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा देश में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चावल, गेहूँ और दलहनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु लिए गए संकल्प के अनुसार तैयार की गई योजना "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" के कार्यान्वयन हेतु (200.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (ii) केन्द्रीय क्षेत्रीय आयोजना स्कीम "गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु ढांचागत सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण" के तहत बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु आत्महत्या से प्रभावित जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन हेतु (177.37 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) Payment of arrears of wages under National Project on Promotion of Organic Farming Scheme in compliance with the Judgement of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, there will be no cash outgo.
- (b)(i) For implementation of newly formulated scheme 'National Food Security Mission' as per the resolution adopted by the National Development Council chaired by Prime Minister to enhance productivity of rice, wheat and pulses to make the country self-sufficient in food grains (Rs. 200.00 crore). This will entail cash outgo.
 - (ii) For implementation of Rehabilitation Package for farmers in suicide affected districts for enhancing seed replacement programme under Central Sector Plan scheme "Development & Strengthening of Infrastructure Facilities for Production and Distribution of Quality Seeds" (Rs. 177.37 crore). As savings are

- में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के रबी मौसम कै दौरान सरसों के मूल्य समर्थन कार्यकलापों के तहत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/ निपटान के संबंध में नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(नेफेड) को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करने हेतु प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए संकल्प के अनुसार तैयार की गई नई योजना "कृषि के लिए राज्य की आयोजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना" के कार्यान्वयन हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

- available within the same section of the Grant, token supplementary is sought.
- (c) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) on procurement/disposal of mustard seeds under the Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07. This will entail cash outgo.
- (d) For implementation of newly formulated scheme 'Additional Central Assistance Scheme to State Plans for Agriculture' as per resolution adopted by the National Development Council chaired by Prime Minister for achieving 4% annual growth in Agriculture Sector during 11th Five Year Plan. This will entail cash outgo.

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)। (See page 5 of the Demands for Grants for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 4.10 | | 4.10 |
| | स्वीकृत | Voted: | 2457.45 | 2154.01 | 4611.46 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | | 17.41 | 17.41 |
| | स्वीकृत | Voted: | ••• | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 2461.55 | 2171.42 | 4632.97 |
| | भारित | Charged: | 4.10 | 17.41 | 21.51 |
| | स्वीकृत | Voted: | 2457.45 | 2154.01 | 4611.46 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|-------|------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूँजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | | 5401-Capital Outlay on | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | | Atomic Energy Research | | | | |
| | भारित | | Charged: | | 17.41 | 17.41 |

यह पूरक विनियोग राजा रमन्ना सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलोजी के भूमि अधिग्रहण मामलों के लिए न्यायालय के आदेश की वजह से व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 8 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की निधि में प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पारित हो जाने के पश्चात कर दी जाएगी। चूँकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required to meet expenditure arising out of court decree for land acquisition cases of Raja Ramanna Centre for Advanced Technology. An advance of Rs. 8 crore sanctioned for this purpose from the Contigency Fund of India, shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed. As an equivalent amount will be surrendered from the Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

उर्वरक विभाग DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)। (See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 24543.57 | 56.68 | 24600.25 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 15000.00 | ••• | 15000.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | ary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted | 39543.57 | 56.68 | 39600.25 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | II. This Supplementary Gran | nt will be accounte | d for under tr | ie ionowing Majo | r Heads: |
|----------------|---------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2401-फसल कार्य | स्वीकृत | 2401-Crop Husbandry | Voted: | | 10000.00 (কa) | 10000.00 |
| 2852-उद्योग | स्वीकृत | 2852-Industries | Voted: | | 5000.00 (खb) | 5000.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 15000.00 | 15000.00 |
| | | टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निर् किया जाता है। Note: The above estimates of shown below which ar | of additional requir | ment do not i | ake into account ti | |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2401-फसल कार्य | | 2401-Crop Husbandry | | ••• | (-)950.00 | (-)950.00 |
| | | टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम जाता है। | नलिखित प्राप्तियां शागि | नेल नहीं हैं, जिन | हें व्यय में से घटाकर र | ममायोजित किया |
| | | Note: The above estimates of below which are adju | • | | e into account the r | eceipts, shown |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:-

- (क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (3250.00 करोड़ रूपए)।
 - (ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (3250.00 करोड़ रूपए)।

MAJOR HEAD

8012-Special Deposits

and Accounts

- (iii) आयातित यूरिया पर सब्सिडी (3500.00 करोड़ रूपए)।
- (ख) नाइट्रोजनी उर्वरकों पर सब्सिडी।

मुख्य शीर्ष

8012-विशेष जमाराशियां

और लेखे

उर्वरक यूनिटों को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जिए क्षतिपूर्ति (7500.00 करोड़ रूपए में से स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों के लिए 2500.00 करोड़ रूपए, आयातित विनियंत्रित उर्वरकों के लिए 1500.00 करोड़ रूपए और नाइट्रोजनी उर्वरकों के लिए 3500.00 करोड़ रूपए) प्रदान करने के पश्चात् इसमें नकद व्यय नहीं होगा, अतः निवल नकद व्यय 6550.00 करोड़ रूपए होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(a) (i) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs.3250.00 crore).

(-)7500.00

(-)7500.00

- (ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (Rs.3250.00 crore).
- (iii) subsidy on imported urea (Rs.3500.00 crore).
- (b) subsidy on nitrogenous fertilisers.

After providing compensation through issue of Special Securities to the Fertiliser Units (Rs. 7500.00 crore, of which indigenous decontrolled fertilisers-Rs. 2500.00 crore, imported decontrolled fertilisers-Rs. 1500.00 crore and nitrogenous fertilisers-Rs. 3500.00 crore) which does not entail cash outgo, the net cash outgo will be Rs. 6550.00 crore.

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)। (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 475.60 | 142.00 | 617.60 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplem | entary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 475.60 | 142.01 | 617.61 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5053-नागर विमानन पर | | 5053-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Civil Aviation | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

यह पूरक अनुदान एअर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस की एक समामेलित कम्पनी नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया (एनएसीआईएल) के पंजीकरण प्रभारों और मूल पूंजी (0.06 करोड़ रुपए) के लिए अपेक्षित है। गया है।

The supplementary grant is required for registration charges and seed capital (Rs.0.06 Crore) to National Aviation Company of India (NACIL), an amalgamated company of Air India and चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान माँगा Indian Airlines. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)। (See page 11 of the Demands for Grants for the year 2007-2008).

| | | | | (करोड़ रुपए R | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.50 | | 0.50 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1887.70 | 707.00 | 2594.70 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 300.00 | 0.01 | 300.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 2188.20 | 707.01 | 2895.21 |
| | भारित | Charged: | 0.50 | | 0.50 |
| | स्वीकृत | Voted: | 2187.70 | 707.01 | 2894.71 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3453-विदेशी व्यापार और | | 3453-Foreign Trade and | | | | |
| निर्यात संवर्धन | स्वीकृत | Export Promotion | Voted: | | 300.00 (कa) | 300.00 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 300.00 | 300.00 |
| पूँजी भाग मुख्य शीर्ष 5453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूँजी परिव्यय | | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 5453-Capital Outlay on Foreign Trade and | | | | |
| जोड़ पूँजी भाग जोड़ (पूरक) | स्वीकृत स्वीकृत स्वीकृत | Export Promotion Total Capital Section Total (Supplementary) | Voted: Voted: Voted: | 0.01 (ख 0.01 0.01 | 300.00 | 0.01 0.01 300.01 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

- (क) 'मानित निर्यात संबंधी शुल्क वापस लेने' और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के लिए केन्द्रीय बिक्री कर और टर्मिनल उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लंबित दावों के निपटान के लिए व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) फुटवेयर डिजाइन डेवलमेंट इस्टीट्यूट, राय बरेली, उत्तर प्रदेश के उन्नयन की वजह से हुए व्यय की पूर्ति हेतु, (31.00 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) to meet expenditure to settle the pending claims of 'Duty Drawback on Deemed Exports' and reimbursement of Central Sales Tax and Terminal Excise Duty for Special Economic Zones (SEZs). This will entail a cash outgo.
- (b) to meet expenditure arising out of upgradation of Footwear Design Development Institute, Rae Bareilly, Uttar Pradesh (Rs.31.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)। (See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 613.46 | | 613.46 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 613.47 | ••• | 613.47 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 613.47 | | 613.47 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------|--------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 3475-अन्य सामान्य | 3475-Other General | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | Economic Services | | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्ध संस्थान की स्थापना अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure के संबंध में व्यय (8.25 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि in connection with the setting up of National Institute for Intellectual Property Manangement (Rs.8.25 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

है:

मांग संख्या DEMAND NO.14

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)। (See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Chargea | <i>l</i> : | | |
| | स्वीकृत | Voted | d: 5445.00 | 195.00 | 5640.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Chargea | d: 0.08 | | 0.08 |
| | स्वीकृत | Voted | d: 377.00 | 352.00 | 729.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 5822.08 | 547.00 | 6369.08 |
| | भारित | Chargea | d: 0.08 | | 0.08 |
| | स्वीकृत | Voted | d: 5822.00 | 547.00 | 6369.00 |
| | | | | - A | |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | • | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--------|--------------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852-उद्योग | स्वीकृत | 2852-Industries | Voted: | | 377.00 (কa) | 377.00 |
| 3451-सचिवालय आर्थिक | | 3451-Secretariat Economic | | | | |
| सेवाएं | भारित | Services | Charged | | 0.08 (<i>खb</i>) | 0.08 |
| जोड़ (राजस्व भाग) | | Total (Revenue Section) | | ••• | 377.08 | 377.08 |
| | भारित | | Charged | | 0.08 | 0.08 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 377.00 | 377.00 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6859-दूरसंचार और इलैक्ट्रोनिक | | 6859- Loans for Telecommunication | on | | | |
| उद्योगों के लिए ऋण | स्वीकृत | and Electronic Industries | Voted: | | 352.00 (गc) | 352.00 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | ••• | 729.08 | 729.08 |
| | भारित | | Charged | | 0.08 | 0.08 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 729.00 | 729.00 |

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित

- (क) निम्नलिखित को बट्टे-खाते डालने के लिए (i) संवैधानिक बकाया राशियों की पूर्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रदान किया गया 352 करोड़ रुपए का ऋण और (ii) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेतनों के भुगतान हेतु दिया गया 25 करोड़ रुपए का ऋण। चूंकि इसकी प्रतिपूर्ति समतुल्य राशि की प्राप्तियों से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिसम्बर 2006 तक संवैधानिक बकाया राशियों की देयता पूरी करने हेतु 252 करोड़ रुपए और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) For write-off of (i) the loan of Rs. 352 crore provided towards meeting statutory dues and implementation of Voluntary Retirement Scheme and (ii) the loan of Rs. 25 crore provided for payment of salaries to M/s Indian Telephone Industries Limited. As this will be matched by receipts of an equivalent amout, there will be no cash outgo.
- (b) For making payment towards compensation as per the award given by Motor Accident Claim Tribunal, New Delhi. As there are savings available under the voted section of the grant, there will be no cash outgo.
- (c) For providing loans of Rs. 252 crore for meeting the liability of statutory dues till December, 2006 and Rs. 100 crore for implementation of Voluntary Retirement Scheme to M/s Indian Telephone Industries Limited. This entails cash outgo.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)। (See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 26115.00 | 376.20 | 26491.20 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.54 | | 0.54 |
| | स्वीकृत | Voted: | 300.00 | | 300.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 26415.54 | 376.20 | 26791.74 |
| | भारित | Charged: | 0.54 | | 0.54 |
| | स्वीकृत | Voted: | 26415.00 | 376.20 | 26791.20 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------|---------|------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2408-खाद्य,भंडारण और | | 2408-Food, Storage and | | | | |
| भांडागारण | स्वीकृत | Warehousing | Voted: | | 300.00 (कa) | 300.00 |
| 3456-नागरिक आपूर्ति | भारित | 3456-Civil Supplies | Charged: | | 0.54 (<i>खb</i>) | 0.54 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | ••• | 300.54 | 300.54 |
| | भारित | | Charged: | | 0.54 | 0.54 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 300.00 | 300.00 |

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता हैः

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2408-खाद्य, भंडारण और भांडागारण

है:

REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2408-Food, Storage and Warehousing

The supplementary grant/appropriation is required for the

- यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित
- (क) एक वर्ष के लिए चीनी के अतिरिक्त बफर स्टॉक के रखरखाव हेतू, सब्सिडी (300 करोड़ रुपए)। चूँकि इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार गठित केन्द्रीय सतर्कता समिति पर व्यय (0.54 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 0.35 करोड़ रुपए के अग्रिम की निधि में पूर्ति पूरक विनियोग के पारित हो जाने के पश्चात की जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा।
- following purposes:
 - (a) Subsidy for the maintenance of additional buffer stock of sugar for one year (Rs.300 crore). As this will be met from Sugar Development Fund, there will be no cash outgo.

(-)300.00

(-)300.00

(b) For meeting expenditure on Central Vigilance Committee constituted as per directions of Supreme Court of India (Rs.0.54 crore). An advance of Rs.0.35 crore sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, shall be recouped to the Fund after the supplementary appropriation is passed. This will entail cash outgo.

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)। (See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | • | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 882.61 | 50.00 | 932.61 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 70.02 | | 70.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | ary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 952.63 | 50.00 | 1002.63 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2205-कला एवं संस्कृति | स्वीकृत | 2205- Art and Culture | Voted: | 35.01 (कa) | 35.01 (खb) | 70.02 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 35.01 | 35.01 | 70.02 |

टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्य भाग REVENUE SECTION मुख्य शीर्ष MAJOR HEAD 2205-कला एवं संस्कृति 2205-Art and Culture

(-) 35.00 ... (-) 35.00

ये पूरक अनुदान मिम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगे गए हैं:-

(क) (i) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद (10.00 करोड़ रुपए), भंड़ारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे (5.00 करोड़ रुपए) और नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, नई दिल्ली (20.00 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान।

चूँकि प्रस्तावित व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखा की 'सामाजिक एवं आधारभूत ढांचा विकास निधि' से की जाएगी, अत; इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान पिरयोजनाएं आरंभ करने के लिए भारत/विदेशों से विद्वानों को शामिल करने हेतु वित्तीय सहायता (5.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) (i) स्वाधीनता का पहला संग्राम, 1857 की 150वी वर्षगांठ; भारत की स्वाधीनता की 60 वीं वर्षगांठ; वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने की 100 वीं वर्षगांठ; शहीद भगत सिंह शहादत की 75 वीं वर्षगांठ और शहीद भगत सिंह की जन्म शताब्दी मनाने हेतु (30.00 करोड़ रूपए) की पूर्ति हेतु। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि मंजूर की गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पारित हो जाने के पश्चात् कर दी जाएगी। संगीत नाटक अकादमी आदि के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त

The supplementary grants are sought for the following purposes:-

(a) (i) Grants-in-aid to Sabarmati Ashram, Ahmedabad (Rs. 10.00 crore); Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune (Rs.5.00 crore); and Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi (Rs.20.00 crore).

Since the proposed expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.

(ii) Financial assistance for engaging scholars from India/ abroad for undertaking research projects for furtherance of Art & Culture (Rs.5.00 crore).

As saving is available within the Revenue Section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) To meet expenditure to celebrate 150th Anniversary of First War of Independence, 1857; 60th Anniversary of Indian Independence; Centenary Celebration of Adoption of Vande Mataram as National Song; 75th Anniversary of the Martyrdom of Shaheed Bhagat Singh; and Birth Centenary of Shaheed Bhagat Singh (Rs.30.00 crore). An advance was sanctioned from the Contingency Fund of India which shall be recouped after supplementary grant is passed. आवंटन (5.00 करोड़ रुपए)।

इसमे नकद व्यय होगा।

(ii) गुरु-ता-गड्डी,2008 की त्रिशताब्दी के स्मरणोत्सव के लिए वित्तीय सहायता (8.00 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अत; सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। Additional allocation for programmes of Sangeet Natak Akadami, etc. (Rs.5.00 crore).

This will entail cash outgo.

(ii) Financial assistance for commemoration of Tercentenary of Guru-Ta-Gaddi, 2008 (Rs.8.00 crore).

As saving is available within the Revenue Section of the grant, a token supplementary is sought.

रक्षा सेवाएं - नौसेना **DEFENCE SERVICES - NAVY**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| भारित | Charged: | 1.37 | | 1.37 |
| स्वीकृत | Voted: | 7048.74 | ••• | 7048.74 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 63.83 | ••• | 63.83 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Supplementary) | 7113.94 | ••• | 7113.94 |
| भारित | Charged: | 1.37 | | 1.37 |
| स्वीकृत | Voted: | 7112.57 | ••• | 7112.57 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना | | 2077-Defence Services - Navy | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 63.83 | 63.83 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता दिनांक 1-4-2007 से सामरिक की पूर्ति हेतु है। चूंकि अनुदान संख्या 22 - रक्षा सेवाएं - थल सेना के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional बल कमान के अन्तर्गत नवसृजित इकाइयों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय expenditure on newly raised units placed under Strategic Forces Command with effect from 1.4.2007. As an equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant No.22-Defence Services - Army, there will be no cash outgo.

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)। (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.24 | | 0.24 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3202.23 | ••• | 3202.23 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| c | भारित | Charged: | 0.50 | | 0.50 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 3202.97 | ••• | 3202.97 |
| | भारित | Charged: | 0.74 | | 0.74 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3202.23 | | 3202.23 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENU | E SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR I | IEAD | | | |
| 2080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान | 2080-Defe | nce Services - | | | |
| और विकास | Rese | arch & Development | | | |
| | भारित | Charged: | ••• | 0.50 | 0.50 |

यह पूरक विनियोग न्यायालय के आदेशों की वजह से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 0.20 करोड़ रुपए के अग्रिम की निधि में पूर्ति पूरक अनुदान के पारित हो जाने के पश्चात् की जाएगी। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary appropriation is required to meet additional expenditure arising out of Court decrees. An advance of Rs.0.20 crore, sanctioned from the Contingency Fund of India for the purpose, shall be recouped to the Fund after supplementary grant is passed. As equivalent savings are available within the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)। (See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | 64.40 | 64.40 |
| | स्वीकृत | Voted: | | 41857.60 | 41857.60 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | | 3.85 | 3.85 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | ••• | 41925.85 | 41925.85 |
| | भारित | Charged: | ••• | 68.25 | 68.25 |
| | स्वीकृत | Voted: | | 41857.60 | 41857.60 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------|------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 4076-रक्षा सेवाओं पर | 4076-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | Defence Services | | | | |
| | भारित | Charged: | | 3.85 | 3.85 |

यह पूरक विनियोग न्यायालय के आदेशों की वजह से हुए अतिरिक्त समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary appropriation is required to meet addi-व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग के तहत tional expenditure arising out of Court decrees. As equivalent savings are available under voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)। (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पुंजी Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 1238.70 154.37 1393.07 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.01 0.01 0.02 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत Voted: 1238.71 154.38 1393.09

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--|---------------------------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3601-Grants-in- aid to | | | | |
| सहायता अनुदान | स्वीकृत | State Governments | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| पूँजी भाग मुख्य शीर्ष | | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD | | | | |
| 6851-ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण | | 6851-Loans for Village and | Voted: | | 0.01 (खb) | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत स्वीकृत | Small Industries Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | 0.01 (GB) 0.01 | 0.01 0.02 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :

- (क) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु राज्यों की हिस्सेदारी में 15% के अंतर के रूप में असम और अरूणाचल प्रदेश राज्य की सरकारों को वर्ष 2006-07 के सहायता अनुदान की बकाया राशियों के भुगतान (36.16 करोड़ रूपए) हेतु।
- (ख) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि. (नेरामैक) की चलती पूंजी की आवश्यकताओं (1.37 करोड़ रूपए) हेतु।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grant is required for:

- (a) Payment of arrears of grants-in-aid for 2006-07 to the State Governments of Assam and Arunachal Pradesh as the gap of 15% in States' Share for implementation of Sarva Shiksha Abhiyan (Rs. 36.16 crore).
- (b) Working capital requirements of the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) (Rs.1.37 crore).

As savings are available within the respective sections of the Grant, token supplementaries are sought.

आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)। (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | - | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 3486.23 | 455.20 | 3941.43 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 15.00 | 15.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | ary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 3486.23 | 470.20 | 3956.43 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 7475-अन्य सामान्य आर्थिक | | 7475-Loans for Other General | | | | |
| सेवाओं के लिए ऋण | स्वीकृत | Economic Services | Voted: | | 15.00 | 15.00 |

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग
पुख्य शीर्ष
MAJOR HEAD
7475-अन्य सामान्य आर्थिक
सेवाओं के लिए ऋण
Economic Services

यह पूरक अनुदान नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के आधारभूत ढ़ाँचे के विकास हेतु रियायती ऋण प्रदान करने हेतु माँगा गया है। चूँिक प्रस्तावित व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखा की 'सामाजिक एवं आधारभूत ढाँचा विकास निधि' से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is sought for providing concessional loan for infrastructure development of National Council for Applied Economic Research (NCAER). Since the proposed expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Accounts of India, there will be no cash outgo.

(-)15.00

(-)15.00

वित्तीय संस्थाओं को भुगतान PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)। (See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 5723.81 | 40353.76 | 46077.57 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1.85 | | 1.85 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | tary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 5725.66 | 40353.76 | 46079.42 |

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3466-अन्तर्राष्ट्रीय वित्त | | 3466-International Finance | cial | | | |
| संस्थाएं | स्वीकृत | Institutions | Voted: | | 1.85 | 1.85 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता गरीबी कम करने और विकास की सुविधा (पीआरजीएफ) के पात्र सदस्य देशों को आपाती प्राकृतिक आपदा सहायता (ईएनडीए) प्रदान करने की भारत की वचनबद्धता की पहली किश्त का भुगतान करने के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for making payment of first instalment of India's pledge to Emergency Natural Disaster Assistance (ENDA) for Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)- eligible member countries. This will entail cash outgo.

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)। (See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 30087.50 | 4286.50 | 34374.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 37574.20 | | 37574.20 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | | 1000.00 | 1000.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 300.00 | | 300.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 67961.70 | 5286.50 | 73248.20 |
| | भारित | Charged: | 30087.50 | 5286.50 | 35374.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 37874.20 | | 37874.20 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|------------------------------|-------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 3601-राज्य सरकारों को सहायता | 3601-Grants-in-Aid to | | | | |
| अनुदान स्वीकृत | State Governments | Voted: | 300.00 (कa) | | 300.00 |
| पूंजी भाग | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 7601-राज्य सरकारों | 7601-Loans and Advances | | | | |
| को ऋण एवं अग्रिम | to State Governments | | | | |
| भारि | 7 | Charged: | 1000.00 (खb) | | 1000.00 |
| जोड़ (पूरक) | Total (Supplementary) | | 1300.00 | ••• | 1300.00 |
| भारि | 7 | Charged: | 1000.00 | | 1000.00 |
| स्वीकृत | Ŧ | Voted: | 300.00 | | 300.00 |

- (क) इस पूरक अनुदान की आवश्यकता विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए क्षे।
- (ख) इस पूरक विनियोग की आवश्यकता विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

इसमें नकद व्यय शामिल होगा।

- (a) The supplementary grant is required for providing Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs).
- (b) The supplementary appropriation is required for providing Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (EAPs).

This will entail cash outgo.

विनिवेश विभाग DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)। (See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | • | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 4.00 | 3302.00 | 3306.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | tary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4.00 | 3302.01 | 3306.01 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------|---------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| पूँजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5467-राष्ट्रीय निवेश | | 5467-Capital Outlay on | | | | |
| निधि के निवेश पर | | Investment of National | | | | |
| पूँजी परिव्यय | स्वीकृत | Investment Fund | Voted: | | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 0.01 | 0.01 |

तीन चुनिंदा निधि प्रबंधकों को अर्थात् (i) जीवन बीमा सहयोग एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लि. (257.00 करोड़ रुपए); (ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (448.00 करोड़ रुपए); और (iii) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि. (946.00 करोड़ रुपए) की राष्ट्रीय निवेश निधि में प्राप्त होने वाली अनुमानित 1651.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटन हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

A token supplementary grant is sought for allocation of Rs.1651.00 crore estimated to be received in National Investment Fund to the three selected Fund Managers i.e. (i) Jeevan Bima Sahyog Asset Management Company Ltd. (Rs.257.00 crore); (ii) State Bank of India Funds Management Pvt. Ltd. (Rs.448.00 crore); and (iii) Unit Trust of India Asset Management Company Pvt. Ltd. (Rs.946.00 crore).

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)। (See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

> (करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पुंजी Capital Total 725.59 16996.22

राजस्व Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत 16270.63 Voted: इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 37.00 37.01 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत Voted: 16270.64 762.59 17033.23

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|---------|---------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2210-चिकित्सा एवं | | 2210-Medical and | | | | |
| जन स्वास्थ्य | | Public Health | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 0.01 (কa) | 0.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4210-चिकित्सा एवं जन | | 4210- Capital Outlay on Medical | | | | |
| स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय | | and Public Health | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 37.00 (खb) | | 37.00 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 37.00 | 0.01 | 37.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) (i) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) के जरिए टी.बी. निरोधक औषधियों की खरीद पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए (45.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) गांधी मेमोरियल लेपरोसी फाउण्डेशन, वर्धा को ''अन्तर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार संचित निधि'' बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार समिति द्वारा लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए फाउंडेशन को सहायता अनुदान (0.36 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

- (ख) (i) सफदरजंग अस्पताल के भवन निर्माण संबंधी अतिरिक्त पुंजी व्यय एवं अस्पताल के लिए मशीनरी एवं उपकरण की खरीद (17.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राम मनोहर लोहिया रनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) को संस्थान के निर्माण के लिए भारतीय अस्पताल सेवा परामार्शदात्री निगम (हास्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कारपोरेशन इण्डिया) को भुगतान करने पर 20.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary grant is required for:

- (a) (i) meeting expenditure towards procurement of anti T.B. drugs through United Nations Office for Project Services (UNOPS) (Rs.45.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Gandhi Memorial Leprosy Foundation, Wardha to enable the foundation to implement the decision taken by International Gandhi Award Committee to enhance the "International Gandhi Award corpus fund" (Rs.0.36 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) additional capital expenditure on construction of Safadarjung Hospital building and procurement of machinery and equipment for the hospital (Rs.17.00 crore).
 - (ii) additional expenditure of Rs.20.00 crore to Dr. Ram Manohar Lohia Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER) for making payment to Hospital Services Consultancy Corporation India Limited towards construction of the Institute.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section, there will be no cash outgo.

भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)। (See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | Charg | ged: | | | |
| | स्वीकृत | Vo | oted: | 285.50 | 628.58 | 914.08 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | भारित | Charg | ged: | 0.41 | | 0.41 |
| | स्वीकृत | Vo | oted: | 567.75 | 0.03 | 567.78 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | | 853.66 | 628.61 | 1482.27 |
| | भारित | Char | rged: | 0.41 | | 0.41 |
| | स्वीकृत | V | oted: | 853.25 | 628.61 | 1481.86 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | 1 1411 | TOH-T Tan | Total |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852-उद्योग | भारित | 2852-Industries | Charged: | | 0.41 (कa) | 0.41 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 567.75 (खb) | 567.75 |
| जोड़ राजस्व भाग | | Total Revenue Section | | ••• | 568.16 | 568.16 |
| | भारित | | Charged: | | 0.41 | 0.41 |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 567.75 | 567.75 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4858-इंजीनियरिंग उद्योगों | | 4858-Capital Outlay on | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Engineering Industries | Voted: | 0.01 (чc) | | 0.01 |
| 4860-उपभोक्ता उद्योगों | | 4860-Capital Outlay on | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Consumer Industries | Voted: | 0.01 (ਬd) | | 0.01 |
| 6858-इंजीनियरिंग उद्योगों | | 6858-Loans for Engineering | | | | |
| के लिए ऋण | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 0.01 (ਵe) | 0.01 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | 0.02 | 568.17 | 568.19 |
| | भारित | | Charged: | | 0.41 | 0.41 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | 567.76 | 567.78 |

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.(एनआईडीसी) के भूतपूर्व कर्मचारियों को देय राशियों का भुगतान (0.41 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सरकारी परिसमापक को वेतन का भुगतान करने और दिनांक 1.9.2006 से 31.03.2008 तक की अवधि के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए एनआईडीसी को सहायता अनुदान (0.16 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for the following purposes:

- (a) Payment of dues (0.41 crore) to the ex-employees of National Industrial Development Corporation Ltd. (NIDC) in compliance of Court Order. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (b) (i) Grants-in-aid to NIDC (Rs.0.16 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and administrative expenses for the period from 1.9.2006 to 31.3.2008. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital section of the Grant, there will be no cash outgo.

- (ii) आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए इन कम्पनियों के अनुमोदित पूंजी पुनर्सरचना आयोजना के भाग के रूप में जैसे कि कम्पनियों की अनुमोदित पुनर्सचना आयोजना के एक भाग के रूप में एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि. के सबंध में दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज (21.73 करोड़ रुपए) माफ करना और इक्विटी (226.43) को कम करना; नेशनल इन्स्ट्मेंटस लि. के संबंध में दिनाकं 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के बकाया ऋण (90.55 करोड़ रुपए) को बट्टे खाते डालना, और ब्याज माफी (138.08 करोड़ रुपए) इक्विटी (8.31 करोड़ रुपए) को कम करना, नागालैण्ड लुग्दी एवं कागज कम्पनी लि. के संबंध में भारत सरकार के बकाया ऋण (29.87 करोड़ रुपए) के बट्टे खाते डालना और ब्याज (52.62 करोड़ रुपए) को माफ करना। इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा और इसमें कोई नकद व्यय शामिल नहीं होगा।
- (ग) आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु जैसे कि एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि. की पुनर्संरचना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप दि.31.3.2007 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण (116.52 करोड़ रुपए) का संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों में रूपान्तरण करना और भारत सरकार के ऋण (116.52 करोड़ रुपए) का इक्विटी में रूपान्तरण करना, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) नागालैण्ड लुग्दी और कागज कम्पनी लि. की पुनर्संरचना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप इसमें इक्विटी निवेश (54.60 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (इ) अनुमोदित पूंजी पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में, एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि. को ब्याज मुक्त ऋण (73.76 करोड़ रुपए) और नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि. को ऋण (0.23 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ii) For carrying out necessary accounting adjustments viz. Waiver of interest outstanding on Government of India loan (Rs.21.73 crore) and write down of equity (Rs.226.43 crore) as on 31.3.2007 in respect of Andrew Yule and Company Ltd; Write off of outstanding Government of India loan (Rs.90.55 crore) and waiver of interest (Rs. 138.08 crore) and write down of equity (Rs.8.31 crore) as on 31.3.2006 in respect of National Instruments Ltd; Write off of outstanding Government of India loan (Rs.29.87 crore) and waiver of interest (Rs.52.62 crore) in respect of Nagaland Pulp and Paper Company Ltd., as part of approved capital restructuring plan of these companies. These will be matched by receipts, and will not entail cash outgo.
- (c) For carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government India loan (Rs.2.04 crore) into cumulative redeemable preference shares and conversion of Government of India loan (Rs. 116.52 crore) into equity as on 31.3.2007, consequent upon approval of restructuring of Andrew Yule and Company Ltd, a token supplementary is sought.
- (d) Equity investment in Nagaland Pulp and Paper Company Ltd (Rs. 54.60 crore) consequent upon approval of its restructuring. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Interest free loan (Rs.73.76 crore) to Andrew Yule and Company Ltd. and loan (Rs.0.23 crore) to National Instruments Limited as part of the approved capital restructuring plan. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)। (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 765.77 | 70.68 | 836.45 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 18.00 | ••• | 18.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 783.87 | 70.68 | 854.55 |
| | भारित | Charged: | 0.10 | | 0.10 |
| | स्वीकृत | Voted: | 783.77 | 70.68 | 854.45 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------|---------|---------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2070-अन्य प्रशासनिक | | 2070-Other Administrative | | | | |
| सेवाएं | भारित | Services | Charged: | | 0.05 (कa) | 0.05 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 18.00 (खb) | 18.00 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | ••• | 18.05 | 18.05 |
| | भारित | | Charged: | | 0.05 | 0.05 |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 18.00 | 18.00 |

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित पर व्यय को पूरा करने के लिए है:-

- (क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामलों में क्षतिपूर्तिं का भुगतान।
- (ख) संघवाद पर चौथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 5 से 7 नवम्बर, 2007।

इसमें नकद व्यय शामिल होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for meeting the expenditure on:

- (a) payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) cases.
- (b) 4th International Conference on Federalism, November 5-7, 2007.

This will entail cash outgo.

पुलिस POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)। (See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | | Charged: | 2.94 | 13.20 | 16.14 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 14469.55 | 4529.81 | 18999.36 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | स्वीकृत | the amount now required: | Voted: | 120.00 | 81.10 | 201.10 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppleme | ntary) | 14592.49 | 4624.11 | 19216.60 |
| | भारित | | Charged: | 2.94 | 13.20 | 16.14 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 14589.55 | 4610.91 | 19200.46 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--|---------------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD | | | | |
| 2055-पुलिस | स्वीकृत | 2055-Police | Voted: | | 120.00 (কa) | 120.00 |
| <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 4055-पुलिस पर पूंजी | | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4055-Capital Outlay on | | | | |
| परिव्यय जोड़ (पूरक) | स्वीकृत स्वीकृत | Police Total (Supplementary) | Voted: Voted: | 1.10 (खb) 1.10 | 80.00 (गс) 200.00 | 81.10 201.10 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना करने के कारण हुए स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) उत्तर-पूर्वी पुलिस अकादमी पर पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए। चूंकि इस अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के अतिरिक्त बटालियनों की स्थापना के परिणामस्वरूप मशीनरी और उपकरणों, वाहनों, भूमि और भवनों आदि पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
- (a) For meeting additional establishment related expenditure on account of raising additional battalions of Indo-Tibetan

Border Police (ITBP). This will entail cash outgo.

- (b) For meeting capital expenditure on North Eastern Police Academy. As an equivalent amount will be surrendered from Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (c) For meeting additional expenditure on machinery & equipment, vehicles, lands & buildings etc. as a sequel to raising additional battalions of ITBP. This will entail cash outgo.

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)। (See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1015.53 | 19.45 | 1034.98 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | स्वीकृत | the amount now required: | Voted: | 106.58 | ••• | 106.58 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppleme | entary) | 1122.13 | 19.45 | 1141.58 |
| | भारित | | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1122.11 | 19.45 | 1141.56 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to | | | | |
| सहायता-अनुदान | स्वीकृत | State Governments | Voted: | | 106.58 | 106.58 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 106.58 | 106.58 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) गुजरात में वर्ष 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों में मारे गए व्यक्तियों के सगे-सबंधियों को क्षतिपूर्ति, घायल व्यक्तियों को अनुग्रह-राशि सहायता के साथ-साथ ऐसे लोगों की जिनकी आवासीय सम्पत्ति के साथ-साथ बीमा न की गई वाणिज्यिक/औद्योगिक सम्पत्ति का नुकसान पहुंचा था, को क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु (106.57 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) वर्ष 1984 के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को वर्द्धित क्षतिपूर्ति (66 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for:

- (a) providing additional relief to the 2002 Gujarat communal riots victims as compensation to the next of kin, ex-gratia assistance to persons injured as well as compensation to the people whose residential property as well as uninsured commercial/industrial property was damaged (Rs.106.57 crore). This will entail cash outgo.
- (b) providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.66 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)। (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः 72.00 स्वीकृत Voted: 1554.76 1626.76 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: 0.01 0.01 स्वीकृत Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत Voted: 1554.77 72.00 1626.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारे | İ | 3602-Grants-in-aid to Union | | | | |
| को सहायता अनुदान | स्वीकृत | Territory Governments | Voted: | | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 0.01 | 0.01 |

यह पूरक अनुदान की मांग 1984 के दंगापीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की बढ़ाई गई राशि की व्यवस्था करने के लिए की गई है (100 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान की इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is sought for providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs.100 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)। (See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Capital Revenue **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत Voted: 33535.22 33535.22 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 33535.23 Voted: 33535.23

> II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II.This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2202-सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

यह पूरक अनुदान प्रौढ़-शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for providing academic and technical assistance to the National Literacy Mission under Directorate of Adult Education (Rs.8.00 crore).

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 9208.50 | 1.00 | 9209.50 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.05 | ••• | 0.05 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplem | entary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 9208.55 | 1.00 | 9209.55 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2202-सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| 2203-तकनीकी शिक्षा | स्वीकृत | 2203-Technical Education | Voted: | 0.01 (गc) | ••• | 0.01 |
| 2251-सचिवालय-सामाजिक | | 2251-Secretariat-Social | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | | 0.01 (घd) | 0.01 |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to State | | | | |
| सहायता अनुदान | स्वीकृत | Governments | Voted: | 0.01 (se) | ••• | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.03 | 0.02 | 0.05 |

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- The supplementary grants are sought for the following:
- (क) (i) "मानव मूल्यों की शिक्षा हेतु एजेंसियों को सहायता" नामक योजना के तहत इसे पुनः चालू करने के लिए सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रुपए)।
 - "वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिभाषिक शब्दावली आयोग" को आयोग (ii) के कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए अतिरिक्त सहायता (0.30 करोड़ रुपए)।
- (ख) "राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना-दूरवर्ती शिक्षा नेटवर्क" नामक योजना के तहत शिक्षा राष्ट्रमण्डल को योगदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (1.54 करोड़ रुपए)।
- (ग) "पालीटेक्निक शिक्षा के सुधार की विश्व बैंक परियोजना" योजना के तहत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (0.85 करोड़ रुपए)।
- (घ) रैगिंग के परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करने के विज्ञापन अभियान के विज्ञापन एवं प्रचार के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (5.00 करोड़ रुपए)
- पुनः चालू करने के लिए सहायता अनुदान (17.50 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

- Grants-in-aid under the scheme "Assistance to Agencies (a) (i) for Education in Human Values" for the restoration of the scheme (3.00 crore).
 - Additional assistance to "Commission for Scientific and (ii) Technical Terminology" for development of necessary infrastructure for running the programme of the Commission (Rs.0.30 crore)
- (b) To meet additional requirement of Contribution to the Commonwealth of Learning under the scheme "Setting up of Commonwealth University & College-Network in the Distance Education" (Rs.1.54 crore).
- (c) To meet additional requirement of payment of Professional and Special Services under the scheme "World Bank Project for Improvement of Polytechnic Education" (Rs.0.85 crore).
- (d) Additional requirement under Advertising and Publicity for advertisement campaign to create awareness of the consequences of ragging (Rs.5.00 crore).
- (ङ) "भाषा अध्यापकों की नियुक्ति" की योजना के तहत इस योजना को (e) Grants-in-aid under the scheme "Appointment of Language Teachers" for the restoration of the scheme (Rs.17.50 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, token supplementaries are sought.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)। (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1890.28 | 6.97 | 1897.25 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 235.90 | | 235.90 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 2126.20 | 6.97 | 2133.17 |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 2126.18 | 6.97 | 2133.15 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------------------|---------|------------------------------|--------|-------------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2230-श्रम और रोजगार | स्वीकृत | 2230-Labour and Employment | Voted: | 62.55 (कa) | | 62.55 |
| 3601-राज्य सरकारों को सहायत | П | 3601-Grants-in- aid to State | | | | |
| अनुदान | स्वीकृत | Governments | Voted: | 167.85 (खb) | ••• | 167.85 |
| 3602-संघ राज्य क्षेत्रों की सरक | ारों | 3602-Grants-in-aid to Union | | | | |
| को सहायता अनुदान | स्वीकृत | Territory Governments | Voted: | 5.50 (गc) | ••• | 5.50 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 235.90 | ••• | 235.90 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है:-

- (क) (i) दक्षता विकास पहल के तहत विज्ञापन एवं प्रचार, मूल्यांकन मानकों का विकास, वेब आधारित साफ्टवेयर का विकास आदि, तथा नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल (एनपीएमसी) और छः क्षेत्रीय कक्षों का सुजन (15.50 करोड़ रूपए)।
- (ii) विश्व बैंक सहायता (4.90 करोड़ रूपए) से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान जारी करने हेत।
- (iii) विश्व बैंक सहायता (42.15 करोड़ रूपए) से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत एपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट, बंगलौर, सेन्ट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसटीएआरआई), कोलकाता, नेशनल इंस्ट्रकशनल मीडिया इंस्टीट्यूट (एनआईएमआई), चेन्नई, 6 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार इलेक्ट्रानिक एंड प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन (एटीआईईपीआई), फोरमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एफटीआई), बंगलौर, सेन्ट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीटीआई) चेन्नई और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनवीटीआई), नोएडा को और समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (42.15 करोड़ रूपए)।

The supplementary grant is required for the following urposes:-

- (a) (i) Advertisement and publicity, development of assessment standards, development of web-based software etc., and creation of National Project Management Cell (NPMC) and six Regional Cells under Skill Development Initiative (Rs. 15.50 crore).
 - (ii) For release of grants-in-aid to 4 Industrial Training Institutes (ITIs) in Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Lakshadweep under Vocational Training Improvement Project (VTIP) with World Bank assistance (Rs.4.90 crore).
 - (iii) For meeting additional expenditure for strengthening of Apex Hi-tech Institute(AHI), Bangalore, Central Staff Training & Research Institute (CSTARI), Kolkata, National Instructional Media Institute(NIMI), Chennai, 6 Advance Training Institutes (ATIs), 2 Advance Training Institute for Electronic & Process Instrumentation (ATIEPIs), Foremen Training Institute(FTI), Bangalore, Central Training Institute (CTI), Chennai and National Vocational Training Institute(NVTI), Noida under VTIP with World Bank assistance (Rs.42.15 crore).

- (ख) (i) दक्षता विकास पहल के तहत (एसडीआई) के तहत विज्ञापन एवं प्रचार, मूल्यांकन मानकों का विकास आदि पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.45 करोड़ रूपए)।
 - (ii) विश्व बैंक सहायता (167.40 करोड़ रूपए) से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत 242 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेन्टर आफ एक्सलेंस की स्थापना/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और अनुदेशक प्रशिक्षण स्कंध/राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एसपीआईयू) की स्थापना/अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन आदि के लिए 27 राज्यों को सहायता-अनुदान जारी करने हेत्।
- (ग) विश्व बैंक सहायता (5.50 करोड़ रूपए) से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के तहत दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सहायता-अनुदान जारी करने हेत्।

इसमें नकद व्यय होगा।

- (b) (i) For meeting additional expenditure on advertisement and publicity, development of assessment standards, etc., under SDI (Rs. 0.45 crore).
 - (ii) For release of grants-in-aid to 27 States for 242 ITIs for establishment of Centres of Excellence/ Upgradation of ITIs and establishment of Instructor Training Wings/State Project Implementation Unit (SPIU)/Monitoring & Evaluation, etc., under VTIP with World Bank assistance (Rs. 167.40 crore).
- (c) For release of grants-in-aid to 3 Industrial Training Institutes (ITIs) in Delhi and ITI in Puducherry under VTIP with World Bank assistance (Rs.5.50 crore).

This will entail cash outgo.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)। (See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित 0.10 0.10 Charged: स्वीकृत Voted: 389.60 334.19 55.41 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 15.00 15.00 जोड़ (मूल और पूरक) 404.70 **Total (Original plus Supplementary)** 349.29 55.41 भारित Charged: 0.10 0.10 55.41 स्वीकृत 349.19 404.60 Voted:

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 2853-अलौह खनन एवं | 2853-Non-ferrous Mining and | | | | |
| धातुकर्मीय उद्योग | Metallurgical Industries | | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 15.00 | | 15.00 |

यह पूरक अनुदान भारत के भूविज्ञान सर्वेक्षण (12 करोड़ रुपए) और भारतीय खान ब्यूरो (3 करोड़ रुपए) के संबंध में वेतन के अंतर्गत निधियों की बढ़ोतरी हेतु माँगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for augmentation of funds under salaries in respect of Geological Survey of India (Rs.12 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs.3 crore). This will entail cash outgo.

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)। (See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 568.65 | 64.25 | 632.90 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplem | entary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 568.66 | 64.25 | 632.91 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2810-गैर-पारम्परिक | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2810- Non-Conventional | | | | |
| ऊर्जा स्रोत | स्वीकृत | Sources of Energy | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) सौर फोटोवोल्टीय (एसपीवी) पम्प कार्यक्रम के नए लक्ष्यों और पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए (i) सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए) और (ii) सब्सिडियां (2.50 करोड़ रुपए),
- (ख) सहायता अनुदान के लिए (i) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत (1.50 करोड़ रुपए), (ii) सूचना एवं प्रचार कार्यक्रम के तहत (0.50 करोड़ रुपए) और (iii) विशेष क्षेत्र परियोजना-प्रदर्शन [ऊर्जा पार्क/विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएडीपी)] के अन्तर्गत (4.00 करोड़ रुपए)।
- (ग) आंकड़ा प्रबंध प्रणाली-प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान मूल्यांकन -डाटा बैंक (टीआईएफएडी) के अन्तर्गत आवश्यकता की पूर्ति हेतु (1.00 करोड़ रुपए),

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है। The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) To meet the requirement of new targets and past commitment of Solar Photovoltaic (SPV) Pump Programme for (i) Grants-in-aid (Rs. 0.25 crore) and (ii) Subsidies (Rs. 2.50 crore),
- (b) For Grants-in-aid under (i) International Cooperation-(Rs. 1.50 crore), (ii) Information and Publicity Programme (Rs. 0.50 crore) and (iii) Special Area Project-Demonstration [Energy Parks/Special Area Development Programme (SADP)] (Rs. 4.00 crore).
- (c) To meet the requirement under Data Management System- Technology Information Forecasting Assessment Data Bank (TIFAD) (Rs. 1.00 crore),

पंचायती राज मंत्रालय MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)। (See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4770.50 | ••• | 4770.50 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplemen | tary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4770.51 | ••• | 4770.51 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2515-अन्य ग्रामीण विकास | | 2515-Other Rural Development | | | | |
| कार्यक्रम | स्वीकृत | programmes | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

यह पूरक अनुदान पंचायत युवा एवं महिला शक्ति अभियान (4 करोड़ रुपए), मीडिया एवं प्रचार (6.90 करोड़ रुपए), अनुसंधान अध्ययनों (2 करोड़ रुपए) और ग्रामीण व्यापारिक केन्द्रों (2 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु मांगा गया है।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant is sought for implementation of Panchayat Yuva Evam Mahila Shakti Abhiyan (Rs.4 crore), Media and Publicity (Rs.6.90 crore), Research Studies (Rs.2 crore) and Rural Business Hubs (Rs. 2 crore).

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 देखिए)। (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 7.61 | 9.00 | 16.61 |
| | स्वीकृत | Voted: | 320.88 | 28.51 | 349.39 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 328.50 | 37.51 | 366.01 |
| | भारित | Charged: | 7.61 | 9.00 | 16.61 |
| | स्वीकृत | Voted: | 320.89 | 28.51 | 349.40 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------|---------|---------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2070-अन्य प्रशासनिक | | 2070-Other Administrative | | | | |
| सेवाऍं | स्वीकृत | Services | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के आधारभूत ढ़ांचे के उन्नयन पर व्यय (0.50 करोड़ रुपए) के लिए है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is required for expenditure on upgradation of infrastructure of Indian Institute of Public Administration (Rs. 0.50 crore).

पेट्रोलियम ओर प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिए)। (See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड़ राजस्व पूंजी Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 2867.81 2867.81 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.01 0.01 Voted: जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत Voted: 2867.82 2867.82

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2802-पेट्रोलियम | | 2802-Petroleum | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 0.01 | 0.01 |

यह पूरक अनुदान भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (गेल) द्वारा जमा की गई पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क वापस करने हेतु अपेक्षित है (0.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required to refund Petroleum Exploration License fees deposited by Gas Authority of India Ltd. (GAIL) (Rs. 0.20 Crore). Since savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

है:

मांग संख्या DEMAND NO.78

ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)। (See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 43347.86 | | 43347.86 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 300.00 | 20.00 | 320.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | ary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 43647.86 | 20.00 | 43667.86 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-------------------------|---------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2505-ग्रामीण रोजगार | | 2505-Rural Employment | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 300.00 (कa) | | 300.00 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4515-अन्य ग्रामीण विकास | | 4515-Capital Outlay on other | | | | |
| कार्यक्रमों पर | | Rural Development | | | | |
| पूंजी परिव्यय | | Programmes | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 20.00 (खb) | | 20.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 320.00 | ••• | 320.00 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु

- (क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जिसमें खाद्यान्न घटक (1103.72 करोड़ रुपए) और विशेष संघटक (72.82 करोड़ रुपए) शामिल है, की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 876.54 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि के लिए पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के ग्रामीण उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन तथा प्रचारित करने हेतु विपणन आधारभूत संरचना की स्थापना के लिए भूमि की खरीद तथा विपणन परिसर का निर्माण। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) Meeting the additional requirement of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana comprising Foodgrains Component (Rs.1103.72 crore) and Special Component (Rs.72.82 crore). As savings of Rs.876.54 crore are available within the Revenue section of the Grant, supplementary is being sought for the balance amount. This will entail cash outgo.
- (b) Purchase of land and construction of marketing complex for setting up of marketing infrastructure to promote sale and publicity of rural products of Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

नौवहन विभाग DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिए)। (See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

| | | | | (कराड़ रुपए Rupees in Crore) | | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------|--|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | Charged: | | | ••• | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1111.50 | 589.50 | 1701.00 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | भारित | Charged: | 92.78 | | 92.78 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1204.28 | 589.50 | 1793.78 | |
| | भारित | Charged: | 92.78 | ••• | 92.78 | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1111.50 | 589.50 | 1701.00 | |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------|-------|-----------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3052-नौवहन | भारित | 3052-Shipping | Charged: | | 92.78 | 92.78 |

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता न्यायालय के आदेश के कारण सीमैन भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ), मुम्बई में धनराशि जमा करने के लिए है। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि मंजूर की गई थी जिसे पूरक अनुदान पारित हो जाने के बाद निधि को लौटा दिया जाएगा। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for depositing the amount in Seamen's Provident Fund Organisation (SPFO), Mumbai arising out of court decree. An advance was sanctioned from the Contingency Fund of India which shall be recouped after supplementary grant is passed. As an equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant, there will be no cash outgo.

सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(पूर्वनाम-लघु उद्योग मंत्रालय)

(Previously-Ministry of Small Scale Industries)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|--|--|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 585.41 | | 585.41 | | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | 1.90 | 1.92 | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | ıtary) | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 585.43 | 1.90 | 587.33 | | |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नी | इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः | | | | | |
| | | II. This Supplementary Grant wi | This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads: | | | | | |
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | | |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total | | |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | | | |
| 2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग | स्वीकृत | 2851-Village and Small Industries | Voted: | 0.01 (কa) | ••• | 0.01 | | |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to State | | | | | | |
| सहायता-अनुदान | स्वीकृत | Governments | Voted: | 0.01 (खb) | ••• | 0.01 | | |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | 0.02 | ••• | 0.02 | | |
| पूँजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | | | |
| 4059-लोक निर्माण कार्य पर | | 4059-Capital Outlay on Public | | | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Works | Voted: | 1.90 (गc) | | 1.90 | | |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 1.92 | ••• | 1.92 | | |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत व्यय की पूर्ति हेतु, नामतः (i) प्रौद्योगिकी समर्थन संस्थाओं एवं कार्यक्रमों पर सब्सिडियाँ (85.30 करोड़ रुपए), अन्य प्रशासनिक व्यय (0.20 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (0.42 करोड़ रुपए), (ii) प्रवर्तनात्मक सेवा संस्थाएँ एवं कार्यक्रम पर विज्ञापन एवं प्रचार (2.25 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (17.08 करोड़ रुपए), (iii) एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तम्भ पर अन्य प्रभार (38.70 करोड़ रुपए), कार्यालय संबंधी व्यय (0.03 करोड़ रुपए) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.02 करोड़ रुपए), (iv) ऋण समर्थन कार्यक्रम योजना पर अंशदान (185.90 करोड़ रुपए), (v) एमडीए कार्यक्रम पर सब्सिडी (1.35 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (2.65 करोड़ रुपए) और (vi) डाटाबेस के अद्यतनीकरण पर प्रशासनिक व्यय (2.45 करोड़ रुपए) और अन्य प्रभार (0.55 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ख) लघु उद्योगों के ऑकड़ों के संग्रहण हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (13.70 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ग) ग्रामीण एवं लघु उद्योग योजना के तहत भूमि की खरीद और कार्यालय के भवन निर्माण हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) For meeting the expenditure under the schemes viz. (i) Quality of Technology Support Institution & Programme on Subsidies (Rs.85.30 crore), Other Administrative Expenses (Rs.0.20 crore) and Other Charges (Rs.0.42 crore), (ii) Promotional Service Institutions and Programmes on Advertising & Publicity (Rs.2.25 crore) and Other Charges (Rs.17.08 crore), (iii) MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles on Other charges (Rs.38.70 crore), Office Expenses (Rs.0.03 crore) and Other Administrative Expenses (Rs.0.02 crore), (iv) Credit Support Programme on Contribution (Rs.185.90 crore), (v) MDA Programme on Subsidy (Rs.1.35 crore) and Other Charges (Rs.2.65 crore) and (vi) Updation of Data base on Other Administrative Expenses (Rs.2.45 crore) and Other Charges (Rs.0.55 crore).

- (b) For providing grants-in-aid (Rs.13.70 crore) to State Governments for Collection of statistics of Small Scale Industries. As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For purchase of land and construction of office accommodation under the scheme Village and Small Industries. As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)। (See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

| | | | | | (करोड़ रुपए R | Supees in Crore) |
|--------------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------------|------------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1934.15 | 125.00 | 2059.15 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplem | entary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1934.16 | 125.00 | 2059.16 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा और | | 2235-Social Security and | | | | |
| कल्याण | स्वीकृत | Welfare | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

यह पूरक अनुदान अनुसंघान संबंधी अध्ययनों और अनुसंघान संबंधी प्रकाशनों की योजना तहत अतिरिक्त व्यय (0.20 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूँिक अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting expenditure (Rs.0.20 Crores) under the scheme of Research Studies and Research Publications. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

जनजातीय मामले मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 1489.29 | | 1489.29 |
| | स्वीकृत | Voted: | 207.73 | 35.02 | 242.75 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1697.03 | 35.02 | 1732.05 |
| | भारित | Charged: | 1489.29 | | 1489.29 |
| | स्वीकृत | Voted: | 207.74 | 35.02 | 242.76 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------|---------|----------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित | | 2225-Welfare of Scheduled | | | | |
| जनजाति और अन्य | | Castes, Scheduled Tribes | | | | |
| पिछड़े वर्गों का कल्याण | | and other Backward classes | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए माँगा गया है:

- (i) 'जनजातीय उत्पादों/उत्पादन का बाजार विकास' योजना के तहत जनजातीय कारीगरी और शिल्प-उपकरणों के संवर्धन और विपणन के लिए ट्राइबल कोओपरोटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडेरेशन ऑफ इंडिया लि. (ट्राइफेड) को सहायता-अनुदान प्रदान करने हेतु (21.71 करोड़ रुपए)।
- (ii) 'अनुवीक्षण और मूल्यांकन' योजना के तहत मूल्यांकन अध्ययनों के संचालन हेतु विशिष्टीकृत एजेन्सियों को सहायता-अनुदान प्रदान करने हेत्, (0.50 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (i) Providing grants-in-aid to Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED) for promoting and marketing of tribal crafts and artifacts under the 'Market Development of Tribal Products/ Produce' scheme (Rs.21.71 crore).
- (ii) Providing grants-in-aid to specialized agencies for conducting Evaluation Studies under the Scheme 'Monitoring and Evaluation' (Rs.0.50 crore).

शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 देखिए)। (See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

| | | - | | (करोड़ रुपए R | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदान : | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 25.72 | 23.70 | 49.42 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1000.62 | 1670.00 | 2670.62 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | ••• | 50.00 | 50.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1026.34 | 1743.70 | 2770.04 |
| | भारित | Charged: | 25.72 | 23.70 | 49.42 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1000.62 | 1720.00 | 2720.62 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------|---------|----------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6217-शहरी विकास के लिए | | 6217-Loans for Urban | | | | |
| ऋण | स्वीकृत | Development | Voted: | 50.00 | | 50.00 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय करों का भुगतान करने के लिए गौण ऋण प्रदान करने के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for extending loan to Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) as subordinate debt for meeting expenditure on payment of Central Taxes during the year 2007-08. This will entail cash outgo.

लोक निर्माण कार्य PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिए)। (See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | • | |
| | भारित | Charged: | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 793.72 | 358.02 | 1151.74 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 18.10 | 18.10 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 794.72 | 377.12 | 1171.84 |
| | भारित | Charged: | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 793.72 | 376.12 | 1169.84 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूँजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4059-लोक निर्माण कार्य | | 4059-Capital Outlay on | | | | |
| पर पूँजी परिव्यय | स्वीकृत | Public Works | Voted: | | 18.10 | 18.10 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दिल्ली (10 करोड़ रुपए) और चेन्नई स्थित बड़ी कर दाता यूनिट (एलटीयू) (8.10 करोड़ रुपए) के लिए कार्यालय भवन के निर्माण पर होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought to meet additional expenditure for construction of office building for Comptroller and Auditor General, Delhi (Rs.10 crore) and for Large Tax Payer Unit(LTU) at Chennai (Rs.8.10 crore). This will entail cash outgo.

युवा मामले और खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिए)। (See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2007-2008).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 753.21 | 26.79 | 780.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 75.01 | 70.21 | 145.22 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplemen | tary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 828.22 | 97.00 | 925.22 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--------------------------|---------|--------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2204-खेल एवं युवा सेवाएं | स्वीकृत | 2204-Sports and Youth Services | Voted: | 75.01 (कa) | | 75.01 |
| | | CARITAL OF CTION | | | | |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| 6202-शिक्षा, खेल, कला | | 6202-Loans for Education | | | | |
| एवं संस्कृति | स्वीकृत | Sports, Art and Culture | Voted: | | 70.21 (खb) | 70.21 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 75.01 | 70.21 | 145.22 |

यह पूरक अनुदन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:-

- The supplementary grants are required for the following purposes:
- "राष्ट्रमंडल खेल" योजना के तहत आधारभूत ढाँचे के विकास उन्नयन हेतु होने वाले अतिरिक्त व्यय (75.00 करोड़ रूपए) की पूर्ति के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।
 - (ii) "अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों में पदक विजेताओं को तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार" योजना के तहत लम्बित देयताओं (10.50 करोड़ रूपए) की पूर्ति हेतू।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अंतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) "राष्ट्रमंडल खेल" योजना के तहत आयोजक समिति, राष्ट्रमंडल खेल की वित्तीय वचनबद्धताओं के संबंध में आयोजना-भिन्न ऋण पर होने वाले व्यय (70.21 करोड़ रूपए) के लिए। इसमें नकद व्यय होगा।

- (a) (i) For meeting additional expenditure to he
 - incurred for development/upgradation Infrastructure under the scheme "Commonwealth Games" (Rs.75.00 crore). This will entail cash outgo.
 - (ii) For meeting pending liabilities under the scheme "Special Awards to Winners of Medals in International Sports Events and their Coaches" (Rs.10.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) For incurring expenditure on Non Plan Loan on the financial commitments of the Organizing Committee, Commonwealth Games, under the scheme "Commonwealth Games" (Rs.70.21 crore). This will entail cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

संसद में प्रस्तुत की जाने वाली मदें जिसमें जारी पुनर्विनियोग आदेशों से बजट प्रावधान 25 प्रतिशत से अधिक अथवा 1.00 करोड़ हो गया है, जो वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. एफ.1(23)-बी(एसी)/2005 दि. 25.5.2006 में यथा अपेक्षित उप-शीर्षक के तहत अधिक है।

Items requiring report to Parliament where Re-appropriation Orders issued has the effect of increasing Budget Provision by more than 25% or Rs.1.00 crore which is more under a sub-head as required in Ministry of Finance's O.M. No.F.1(23)-B(AC)/2005 dated 25.05.2006.

| date | d 25.05.2006. | | (करोड़ रुपए R1 | upees in Cror | e) |
|------------|------------------------|--|------------------|--------------------------|---|
| —— क्र. | | | बजट अनुमान | <u>.</u> पुनर्विनियोग | * |
| सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | योजना | 4 9 10 01 3 11 1 | की राशि | टिप्पणियां |
| Sl. | Name of the Ministry/ | Scheme | Budget | Amount of | Remarks |
| No. | Department | Scheme | Estimates | Re-appro- priation | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | वित्त वर्ष 2006-07 | | | | |
| | Financial Year 2006-07 | | | | योजना में निधि की अतिरिक्त आवश्यकता |
| 1. | पशुपालन, डेरी कार्य | 1. पशु रोग नियंत्रण | | | की पूर्ति हेतु। |
| | और मात्रियकी विभाग | (मु.शी.3601) | | | To meet the additional requirement |
| | Department of | 1. Animal Disease | 53.56 | 7.20 | of fund in the scheme. |
| | Animal Husbandry, | Control (M.H. 3601) | | | - तदैव - |
| | Dairying and | 2. अन्तर्देशीय मत्स्य पालन, मात्स्यिकी | Ì | | |
| | Fisheries | का विकास (मु.शी.3601) | | | |
| | | 2. Development of Inland | | | - do - |
| | | Aquaculture & Fisheries | 7.95 | 6.62 | |
| | | (M.H. 3601) | 7.55 | 0.02 | |
| • | om nai ab anna | T # 0000 0TH THE T-THE | | | कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 |
| 2. | श्रम एवं रोजगार | मु.शी.2230- श्रम एवं रोजगार | 0.40.00 | 500.00 | के संबंध में सरकार के अंशदान के हिस्से |
| | मंत्रालय | MH-2230-Labour & Employment | 840.00 | 500.00 | संबंधी विगत वर्षों की बकाया राशि के |
| | Ministry of Labour and | 01- श्रम | | | |
| | Employment | 01-Labour | | | भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। |
| | | 0111.02- कर्मचारी पेंशन | | | · |
| | | योजना 1995 | | | Additional funds are required for |
| | | 111.02-Employees' | | | payment of arrears of privious years |
| | | Pension Scheme 1995 | | | on Government share of |
| | | | | | contribution towards Employees' |
| | | | | | Pension Scheme (EPS), 1995. |
| | वित्त वर्ष 2007-08 | | | | |
| | Financial Year 2007-08 | | | | |
| 3 . | सड़क परिवहन | सड़क स्कंध और | | | पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में विशिष्ट |
| | एवं राजमार्ग विभाग | सीमा सड़क संगठन | | | योजनाओं/परियोजनाओं पर सभी मामलों |
| | Department of | 3601-राज्य सरकारों को सहायता- | | | के संबंध में उस क्षेत्र के लिए निर्धारित |
| | Road Transport | अनुदान (मु.शी.) | | | निधियों से व्यय की पूर्ति हेतु। |
| | and Highways | Roads Wing and Border | | | To meet expenditure on specific |
| | | Roads Organisation | | | schemes/projects in the North |
| | | 3601-Grants-in-aid to State | | | Eastern Region and Sikkim out of |
| | | Governments (MH) | | | funds earmarked for that Region in |
| | | 03-केन्द्रीय आयोजना रकीमों के | | | respect of all the cases. |
| | | लिए अनुदान (उप मु.शी.) | | | |
| | | 03-Grants for Central Plan Scheme | es | | |
| | | (Sub MH) | | | |
| | | 03.821-सामरिक महत्व की और | | | |
| | | रीमा सड़कें- सड़क निर्माण कार्य | | | |
| | | | | | |
| | | (लघु शीर्ष) | _ | | |
| | | 03.821-Strategic and Border Road | S- | | |

Road Works (Minor-Head)

| | | (5 | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 02-बीआरडीबी के तहत सड़क | | | | | |
| | | निर्माण कार्य | | | | | |
| | | 02-Road Works under BRDB | | | | | |
| | | 02.00.31-सहायता अनुदान | | | | | |
| | | 02.00.31 - Grants-in-aid | 67.00 | 7.00 | | | |
| | | 5054-सड़क एवं पुलों पर पूँजी | | | | | |
| | | परिव्यय (मु.शी.) | | | | | |
| | | 5054- Capital Outlay on Roads | | | | | |
| | | and Bridges (MH) | | | | | |
| | | 01-राष्ट्रीय राजमार्ग (उप मुख्य शीर्ष) | | | | | |
| | | 01 - National Highways (Sub MH) | | | | | |
| | | 01.052-मशीन एवं उपकरण | | | | | |
| | | (लघु शीर्ष) | | | | | |
| | | 01.052 - Machinery & Equipment | | | | | |
| | | (Minor Head) | | | | | |
| | | 02-मशीन एवं उपकरण | | | | | |
| | | 02 - Machinery & Equipment | | | | | |
| | | 02.00.52-मशीन एवं उपकरण | | | | | |
| | | 02.00.52 - Machinery & | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | Equipment 01.337-सड़क निर्माण कार्य | 5.00 | 5.00 | | | |
| | | 01.337-सङ्क्ष निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) | | | | | |
| | | 01.337 - Road Works (Minor | | | | | |
| | | Head) | | | | | |
| | | 11cad) 01-सङ्क स्कंध के तहत निर्माण कार्य | | | | | |
| | | 01 - Works under Roads Wing | | | | | |
| | | 01.02-अन्य योजनाएं | | | | | |
| | | 01.02 - Other Schemes | | | | | |
| | | 01.02.53-प्रमुख कार्य | | | | | |
| | | 01.02.53 - Major Works | 1867.01 | 100.00 | | | |
| | | 02-पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित | | | | | |
| | | सङ्क विकास कार्यक्रम | | | | | |
| | | 02 - Special Accelerated Road | | | | | |
| | | Development Programme in | | | | | |
| | | North Eastern Areas | | | | | |
| | | 02.00.53-प्रमुख कार्य | | | | | |
| | | 02.00.53 - Major Works | ••• | 710.00 | | | |
| | | 02-सामरिक महत्व की और सीमा | | | | | |
| | | सड़कें (उप मुख्य शीर्ष) | | | | | |
| | | 02 - Strategic and Border Roads | | | | | |
| | | (Sub MH) | | | | | |
| | | 02.337-सड़क निर्माण कार्य | | | | | |
| | | 02.337 - Road Works (Minor-Head) | | | | | |
| | | 03-बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य | | | | | |
| | | 03 - Works under BRDB | | | | | |
| | | 03.00.53-प्रमुख कार्य | | | | | |
| | | 02 00 72 14 1 177 1 | 240.76 | 270.24 | | | |

349.76 250.24

03.00.53 - Major Works